



HANDWRITTEN NOTES

R.A.S.

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION

मुख्य परीक्षा हेतु

PAPER-1

[भाग -3]

अर्थव्यवस्था (भारत + विश्व + राजस्थान) +
समाजशास्त्र + प्रबंधन + लेखांकन एवं अंकेक्षण

नोट -

प्रिय छात्रों, Infusion Notes के RAS MAINS के sample notes आपको पीडीऍफ़ format में “फ्री” में दिए जा रहे हैं और complete Notes आपको Infusion Notes की website या (Amazon/Flipkart) से खरीदने होंगे जो कि आपको hardcopy यानि बुक फॉर्मेट में ही मिलेंगे । किसी भी व्यक्ति को sample पीडीऍफ़ या complete Course की पीडीऍफ़ के लिए भुगतान नहीं करना है । अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसकी शिकायत हमारे Phone नंबर 8233195718, 0141-4045784 पर करें, उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाई की जाएगी ।



इकाई ॥ - अर्थव्यवस्था

खण्ड अ - भारतीय अर्थशास्त्र

अध्याय - १ कृषि - भारतीय कृषि में वृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियाँ

- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और खाद्य प्रबंधन
- कृषिगत सुधार और चुनौतियाँ ।

अध्याय - २ औद्योगिक क्षेत्र की प्रवृत्तियाँ -

- औद्योगिक नीति एवं औद्योगिक वित्त ।
- उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण और
- आर्थिक सुधार ।
- अवसंरचना और आर्थिक वृद्धि ।

अध्याय - ३ स्फीति, कीमतें और माँग / पूर्ति प्रबंधन ।

अध्याय - ४ केंद्र - राज्य वित्तीय संबंध और नवीनतम वित्त आयोग

- राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन
अधिनियम
- भारत में राजकोषीय सुधार

अध्याय - 5 बजटीय प्रवृत्तियाँ

- केन्द्रीय बजट 2021 - 22
- राजकोषीय नीति
- भारत में कर सुधार (GST) अनुदान - नकद हस्तांतरण और अन्य संबंधित मुद्दे राजस्व और व्यय की प्रवृत्तियाँ ।

अध्याय - 6 आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका

अध्याय - 7 सामाजिक क्षेत्र - गरीबी, बेरोजगारी और असामनता , स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा नीति ,

खण्ड ब - वैश्विक अर्थव्यवस्था

अध्याय - 1 वैश्विक आर्थिक मुद्दे और प्रवृत्तियाँ :-

- विश्व बैंक
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
- विश्व व्यापार संगठन की भूमिका।

अध्याय - 2 सतत् विकास एवं जलवायु परिवर्तन ।

खण्ड स - राजस्थान की अर्थव्यवस्था

अध्याय - 1 कृषि परिदृश्य - उत्पादन एवं उत्पादकता । जल

संसाधन और सिंचाई कृषि विपणन , डेयरी और
पशुपालन

अध्याय - 2 ग्रामीण विकास और ग्रामीण अवसंरचना । पंचायती राज
और वित्त आयोग ।

अध्याय - 3 औद्योगिक विकास का संस्थागत ढाँचा । औद्योगिक वृद्धि
और नवप्रवृत्तियाँ । खादी और ग्रामोद्योग ।

अध्याय - 4 अवसंरचना विकास - विद्युत और परिवहन । अवसंरचना
में निजी विनियोग और सार्वजनिक - निजी सहभागिता
परियोजनाएँ - दृष्टिकोण और सम्भावनाएँ ।

अध्याय - 5 राजस्थान के विशेष संदर्भ में संवृद्धि, विकास और आयोजना।

अध्याय - 6 राजस्थान की प्रमुख विकास परियोजनाएँ । राज्य बजट और
राजकोषीय प्रबंधन - मुद्दे और चुनौतियाँ , राजस्थान की
आर्थिक कल्याण योजनाएँ । सामाजिक न्याय और
सशक्तिकरण ।

अध्याय - 7 बुनियादी सामाजिक सेवाएँ - शिक्षा व स्वास्थ्य । गरीबी, बेरोजगारी और सतत् विकास लक्ष्य ।

इकाई III- समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन एवं अंकेक्षण

खण्ड अ- समाजशास्त्र

भारत में समाजशास्त्रीय विचारों का विकास

अध्याय -1 भारतीय समाज में जाति वर्ग : प्रकृति, उद्भव, प्रकार्य और चुनौतियाँ

अध्याय-2 परिवर्तन की प्रक्रियाँ : संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, भूमंडलीकरण

अध्याय - 3 भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियाँ : दहेज, तलाक एवं बाल विवाह के मुद्दे, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, निर्धनता, बेरोजगारी, मादक पदार्थ व्यसन, कमजोर तबके विशेषकर दलित, वृद्ध और द्विव्यांग ।

अध्याय - 4 राजस्थान में जनजातीय समुदाय : भील, मीणा एवं गरासिया - समस्याएँ व कल्याण ।

खण्ड ब- प्रबंधन

अध्याय - 1 विपणन की आधुनिक अवधारणा, विपणन मिश्रण - उत्पाद, मूल्य, स्थान और संवर्धन,

- आपूर्ति शृंखला प्रबंधन, प्रचालन तंत्र,
- ई - विपणन,
- व्यवसाय तथा निगम आचारनीति ।

अध्याय - 2 धन के अधिकतमकरण की अवधारणा,

- वित्त के स्रोत - अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन,
- पूँजी बाजार,
- बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ,
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश,
- विदेशी संस्थागत निवेश ।

अध्याय - 3 नेतृत्व के सिद्धांत तथा शैलियाँ, समूह व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार, अभिवृत्ति, मूल्य, टीम तथा आकलन प्रणाली ।

अध्याय - 4 उद्यमिता - उद्भवन, स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न, उद्यम पूँजी, एंजल निवेशक

अध्याय - 5 अत्यावश्यक सेवाओं का प्रबंधन - शिक्षा प्रबंधन, हेल्थकेयर तथा वेलनेस प्रबंधन, पर्यटन तथा आतिथ्य प्रबंधन ।

खण्ड स- लेखांकन एवं अंकेक्षण

अध्याय - 1 लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली का सामान्य ज्ञान,

- वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें,
- उत्तरदायित्व और सामाजिक लेखांकन

अध्याय - 2 अंकेक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य, सामाजिक, निष्पत्ति एवं दक्षता
अंकेक्षण, सरकारी अंकेक्षण की प्रारम्भिक जानकारी।

अध्याय - 3 निष्पादन बजट एवं शून्य आधारित बजट की सामान्य
जानकारी



अध्याय - 1

कृषि - भारतीय कृषि में वृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियाँ। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और खाद्य प्रबंधन, कृषिगत सुधार और चुनौतियाँ

प्रिय दोस्तों, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था का प्रमुख आधार है। एक ओर जहाँ यह भारत की अधिकांश जनसंख्या को प्रभावित करती है, वही दूसरी ओर यह भारतीय जलवायु (Indian Climate), मृदा एवं अन्य संस्थागत कारकों से भी प्रभावित होती है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। अभी भी यहाँ की आधी से अधिक जनसंख्या का भरण-पोषण कृषि पर निर्भर है। यद्यपि सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का अंशदान वर्ष 1951 में 60% से घटकर वर्ष 2014-15 में 14.7% तक पहुँच गया, फिर भी इसकी भूमि का महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 52% जनसंख्या के रोजगार का स्रोत है। औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति और उपलब्धि भी कृषिगत कच्चे माल पर ही निर्भर करती है।

भारत के कुल 328.726 मिलियन हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल में से 195.10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र 2009-2010 पर कृषि की जाती है, जबकि इसमें से 141.36% मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र शुद्ध बुआई क्षेत्र (Net Sowing Area) है 46.29% अर्थात् यहाँ वास्तविक रूप से कृषि होती है। गत 60 वर्षों में शुद्ध बुआई क्षेत्र में तीव्रगति से वृद्धि हुई है। वर्ष 1950-51 में इसके अधीन केवल 118.75 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र था।

स्थानित तौर पर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र का 55% से अधिक प्रतिवेदित क्षेत्र (Reported Area) शुद्ध बुआई क्षेत्र के रूप में पाया जाता है। कृषि की दृष्टि से ये देश के अग्रणी क्षेत्र हैं।

विभिन्न प्रकार की खेतियों के नाम

एरोपोनिक	पौधों को हवा में उगाना
एपीकल्चर	मधुमक्खी पालन
हॉर्टीकल्चर	बागवानी
फ्लोरीकल्चर	फूल विज्ञान
ओलेरीकल्चर	सब्जी विज्ञान
पोमोलॉजी	फल विज्ञान
विटीकल्चर	अंगूर की खेती
वर्मीकल्चर	कैचुआ पालन
पिसीकल्चर	मत्स्यपालन
सेरीकल्चर	रेशम उद्योग
मोरीकल्चर	रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना

कृषि के अन्य प्रकार एवं प्रतिरूप :-

झूम कृषि - पूर्वोत्तर क्षेत्र में, वनों को जलाकर की जाती है।

गहन कृषि - कृषि आगतों का अधिक उपयोग।

विस्तृत कृषि - बड़े भूखण्डों (जोतों) में की जाने वाली कृषि।

बागानी कृषि - पहाड़ी ढालों के सहारे बागानों की जाने वाली कृषि।

जीवन-निर्वाह कृषि - जीवनयापन के उद्देश्य से।

मिश्रित कृषि - कृषि के साथ पशुपालन।

सतत कृषि - पारिस्थितिकी के सिद्धान्तों के अनुसार की जाने वाली कृषि

मिश्रित कृषि - दो-या-दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाना।

अंतराफसलीकरण - दो-या-दो से अधिक फसलों को एक साथ एक निश्चित पैटर्न पर उगाना।

फसल चक्र - परिपक्वता के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र।

भारत की फसल ऋतुएँ

भारत की भौतिक संरचना, जलवायविक (Climatic) एवं मृदा सम्बन्धी विभिन्नताएँ ऐसी हैं, जो विभिन्न प्रकार की फसलों की कृषि को प्रोत्साहित करती हैं। देश के उत्तरी एवं आन्तरिक भागों में तीन प्रमुख फसल खरीफ, रबी व जायद के नाम से जानी जाती हैं।

1. खरीफ

ये वर्षा काल की फसलें हैं, जो दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रारम्भ जून-जुलाई होना के साथ बोई जाती हैं तथा सितम्बर-अक्टूबर तक काट ली जाती इसमें। उष्णकटिबन्धीय फसलें शामिल हैं, जिसके अन्तर्गत चावल, चार बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, सन, तम्बाकू, मूंग, उड़द, लोबिया आदि की कृषि की जाती है।

2. रबी

ये फसल सामान्यतः अक्टूबर में बोई जाती हैं और मार्च में काट ली जाती हैं। इस समय का कम तापमान शीतोष्ण एवं उपोष्ण कटिबन्धीय फसलों के लिए सहायक होता है। इस ऋतु में सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। इसके अन्तर्गत शामिल प्रमुख फसलें-गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई आदि हैं।

3. जायद

जायद एक अल्पकालिक एवं ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है, जो रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में अर्थात् अप्रैल में बोई जाती है और जून तक काट ली जाती है। इसमें सिंचाई की सहायता से सब्जियों तथा खरबूजा, ककड़ी, खीरा, करेला आदि की कृषि की जाती है। मूंग एवं कुल्थी जैसी दलहन फसलें भी इस समय उगाई जाती हैं। यद्यपि इस प्रकार की पृथक फसल ऋतुएँ देश के दक्षिणी भागों में नहीं पाई जाती। यहाँ का अधिकतम तापमान वर्ष

भर किसी भी उष्णकटिबन्धीय फसल (Tropical Crop) की बुआई में सहायक है, इसके लिए पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए देश के इस भाग में जहाँ भी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, एक कृषि वर्ष में एक ही फसल तीन बार उगाई जा सकती है।

भारतीय कृषि ऋतु

कृषि ऋतु

प्रमुख फसलें

उत्तरी भारत राज्य / दक्षिणी भारत

खरीफ (जून से सितम्बर)

चावल, कपास,

बाजरा, चावल,

मक्का, रागी,

मक्का, ज्वार,

अरहर (तुर)

ज्वार तथा मूंगफली

रबी (अक्टूबर से मार्च)

गेहूँ, चना, तोरई,

सरसों, जौ चावल,

मक्का, रागी,

जायद (अप्रैल से जून) वनस्पति, सब्जियाँ,

फल, चावल, सब्जियाँ, चारा, चारा फसलें

कृषि के स्थानीय नाम

राज्य/क्षेत्र	स्थानीय नाम
पूर्वोत्तर, असम	झूम
केरल	पोनम
ओडिशा/आन्ध्र प्रदेश	पाँडु
मध्य प्रदेश	बीवार, वीरा, पैंडा

प्रमुख फसलें

भारत में प्रमुख फसलों की कृषि

1. चावल -

- यह प्रेमिनी कुल का एक उष्णकटिबंधीय फसल है एवं भारत की मानसूनी जलवायु में इसको अच्छी कृषि की जाती है। चावल हमारे देश की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। गर्म एवं आर्द्र जलवायु की उपयुक्तता के कारण इसे खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है।
- देश में सकल बोई गई भूमि के 23% क्षेत्र में एवं खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र में 47% भाग पर चावल की कृषि की जाती है।
- विश्व में चावल के अंतर्गत आने वाले सर्वाधिक क्षेत्र (28%) भारत में हैं जबकि उत्पादन में इसका चीन के बाद दूसरा स्थान है। 2012 में चावल निर्यात में भारत का विश्व में प्रथम स्थान था।
- भारत में विश्व के कुल चावल उत्पादन का लगभग 21% चावल पैदा होता है।
- कृष्णा-गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत के 'चावल के कटोरे' के नाम से भी जाना जाता है।
- चावल के लिए भौगोलिक दशाएँ चिकनी उपजाऊ मिट्टी, गर्म जलवायु 75 सेमी. से 200 सेमी. तक वर्षा एवं प्रारंभ से तापमान 20° C तथा बाद में 27° C हो जाता है।

- भारत में चावल की तीन फसलें- अमन (शीतकालीन) ओस शरदकालीन तथा बारो (ग्रीष्मकालीन) पैदा की जाती हैं। वर्ष में सबसे अधिक अमन का उत्पादन होता है जो जून से अगस्त तक बोकर नवम्बर से जनवरी तक काट ली जाती है।
- यहाँ विभिन्न राज्यों में पैदा की जाने वाली चावल की कुछ विशेष किस्में इस प्रकार हैं- साम्बा, कुरुंबई (तमिलनाडु) कामिनी, कालाजीरा, गोविंदभोग (पश्चिम बंगाल), जरीसाल (गुजरात), बासमती (उत्तर प्रदेश)। पश्चिमी बंगाल व तमिलनाडु में चावल को तीन फसलें उगाई जाती हैं ओस (सितम्बर अक्टूबर) अमन (जाड़ा) एवं चोरो (गर्मी)। कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति 'जया' थी। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केन्द्र कटक (ओडिशा) में है।
- वर्तमान समय में चावल की अधिक उपज देने वाली कई किस्में विकसित की गई हैं, ये हैं IR-8, IR-20 साकेत, सरजू, महसूरी, गोविन्द, पूसा-2-21, गौरी, श्वेता, चिंगम, धनु, RH-204, GR8, साबरमती, पूसा-33, रत्ना, कावेरी, पद्मा, अन्नपूर्णा, तेलाहम्सा, हम्सा, बाला, PLA, 1. किरन आदि। कीट रोधी किस्में- IET-144, बाला एवं N-2 हैं।
- वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन (आनुवांशिक परिवर्तन) करके विटामिन की कमी को दूर करने वाले चावल का विकास किया है, इस चावल का नाम 'गोल्डन राइस' रखा गया है।
- गोल्डन राइस को पैदा करने के लिए उसके पौधों पर जीनों का प्रत्यारोपण करना पड़ता है, जिससे पौधा बीटा कैरोटिन युक्त पीले रंग का चावल उत्पादित करता है।
- देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अभी भी विकसित देशों की तुलना में बहुत कम (1741 किग्रा.) में है, जबकि जापान में 6240 किग्रा. प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से पश्चिम बंगाल (14245) पंजाब (13.45%), आंध्र प्रदेश (12.36) का क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान है।

1. गेहूँ (Wheat) -

- यह प्रेमिनी कुल का सदस्य है। विश्व में गेहूँ उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है चावल के बाद देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है।

- देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 10% एवं कुल बोए गए क्षेत्र के 13% भाग गेहूँ की कृषि की जाती है।
- चावल को अपेक्षा इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन (लगभग 2770 कि.ग्रा) अधिक है। इसकी अधिकांश कृषि सिंचाई के सहारे की जाती है।
- भारत में विश्व का लगभग 12.5 प्रतिशत गेहूँ का उत्पादन होता है।
- आर्थिक समीक्षा 2011-12 के अनुसार देश में गेहूँ की औसत उपज 29.38 कुंटल प्रति हेक्टेयर है।
- हरित क्रान्ति का सबसे अधिक प्रभाव कृषि पर ही पड़ा है। हरित क्रान्ति के अधिक प्रभाव गेहूँ पर पड़ा है इसके पश्चात् गेहूँ के उच्च उत्पादकता एवं उत्पादन प्राप्त किया गया है।
- गेहूँ के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएँ उपजाऊ मिट्टी, 50 सेमी. से 75 सेमी. तक वर्षा, आरंभ में तापमान 10°C से 15°C तथा बाद में 20°C से 25°C है। गेहूँ में सामान्यतः प्रोटीन 8-15%, कार्बोहाइड्रेट 65-70% वसा 1.5% तथा खनिज 2.0% पाया जाता है।
- गेहूँ में ग्लूटिन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। गेहूँ के सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश (देश के कुल कल उत्पादन का 30.29 मिलियन टन) पंजाब (17.21 मिलियन टन) तथा हरियाणा राणा (12.68 मिलियन टन) हैं।
- मध्य प्रदेश राजस्थान बिहार अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। उत्पादकता प्रथम स्थान पंजाब राज्य का है। आर्थिक समीक्षा 2013-14 में गेहूँ का कुल उत्पादन 94.88 मिलियन टन रहा।
- गेहूँ को प्रमुख किस्में प्रताप, अर्जुन, जनक, कल्याण, सोना, VL-829, HI- 1500, NW-2036 MP-4010. HS-420 एवं 335 आदि।
- ICAR द्वारा 'पूसा बेकर' नामक गेहूँ की नई प्रजाति विकसित की है। बिस्कुट के लिए विकसित यह किस्म यूरोपीय देशों द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है।

2. जौ (Barley) -

- जो भी देश की एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इसकी गणना मोटे अनाजों में की जाती है।
- यह सामान्यतया शुष्क एवं बलुई मिट्टी में बोया जाता है तथा इसकी शीत एवं नमी सहन करने की क्षमता भी अधिक होती है
- जो के लिए कम मिट्टी 70 सेमी. से 100 सेमी. तक व 15°C से 18°C तक तापमान आदि भौगोलिक दशाएँ होनी चाहिए।
- जो का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश अन्य उत्पादक राज्य हैं। जो की किस्में हिमानी, ज्योति, कैलाश, C-164 K-24, RDB-1 आदि हैं अनाज हैं।

4. ज्वार (Jowar) - ज्वार भी एक मोटा अनाज जिसकी कृषि सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में बिना सिंचाई के की जाती है। इसलिए उपजाऊ जलोढ़ अथवा चिकनी मिट्टी काफी उपयुक्त होती है। इसकी वृद्धि के लिए तापमान 25°C से 30°C के बीच होनी चाहिए। ज्वार की फसल भारत के अधिकांश राज्यों में खरीफ की फसल है। देश में ज्वार तीन-चौथाई से अधिक क्षेत्र मात्र तीन राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में विस्तृत है देश का लगभग 80% ज्वार का उत्पादन भी इन्हीं तीनों राज्यों में होता है। 2013 में ज्वार का सकल क्षेत्र 16.3 मिलियन हेक्टेयर था। इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश का स्थान आता है। प्रमुख किस्में CSV-1, CSV-7, CSH-1, CSH-8 आदि हैं।

5. बाजरा (Bajra) - बाजरा की गणना भी मोटे अनाजों में की जाती है और यह वास्तव में, ज्वार से भी शुष्क परिस्थितियों में पैदा किया जाता है। बाजरा के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएँ बलुई मिट्टी, 50 सेमी. से 70 सेमी. तक वर्षा तथा तापमान 25°C 30°C के बीच होनी चाहिए। 2013-14 में बाजरा सकल क्षेत्र 8.7 मिलियन हेक्टेयर था। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा हरियाणा में

नोट - प्रिय पाठकों , यह एक sample मात्र है यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नहीं हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको RAS मुख्य परीक्षा के कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है। RAS मुख्य परीक्षा के कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , धन्यवाद।

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्टूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्टूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये

राजस्थान SI 2021 की परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें।

• खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र एवं खाद्य प्रबंधन:

संदर्भ

भारत में आबादी के बड़े हिस्से के लिए कृषि सर्वप्रथम व्यवसाय बना हुआ है। इतने वर्षों में इस क्षेत्र के सम्मुख कई नई चुनौतियाँ आई हैं। कृषि में उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग एवं जैविक और जीरो बजट कृषि अपनाकर छोटी जोत वाली खेती, जीविका का एक आकर्षक अवसर बन सकता है।

परिचय

कृषि और संबंधित क्षेत्र छोटे और सीमांत किसानों के लिए रोजगार और जीविकोपार्जन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। गरीबी समाप्त करने और समावेशी विकास परक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि से संबंधित गतिविधियों को निकटता से सतत् विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ना होगा। कृषि में जोत हेतु भूमि के आकार में आती कमी को देखते हुए भारत को सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और साथ ही कृषि में धारणीयता प्राप्त करने के लिए खेती में संसाधन कौशल पर ध्यान केंद्रित करना होगा। संसाधन दक्ष पद्धतियों, परिवर्तनशील रोपण ढांचा, पर्यावरण परिवर्तन के अनुरूप ढलने वाली खेती और समन्वय हेतु आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) का गहन रूप से उपयोग भारत में लघु धारक खेती का आधार होना चाहिए।

सुरक्षित और खाद्य संरक्षित भविष्य के लिए कृषि भूमि व्यवस्था को अत्यधिक परिवर्तनों से होकर गुजरना होगा और 'हरित क्रांति आधारित उत्पादकता से कृषि में हरित उपायों' पर आधारित धारणीयता की विचारधारा को अपनाया जाएगा।

कृषि और संबंधित क्षेत्रों का अवलोकन

भारत में कृषि क्षेत्र अपने चिर परिचित रूप में संवृद्धि की दृष्टि से चक्रीय गति से गुजरता है। कृषि में सकल मूल्य वृद्धि वर्ष 2014-15 में 0.2 प्रतिशत दृणात्मक से 2016-17 में 6.3 प्रतिशत धनात्मक रही जोकि 2018-19 में फिर 2.9 प्रतिशत तक शिथिल पड़ गई। जबकि फसलों, पशु और वन क्षेत्र में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 तक की अवधि के दौरान वृद्धि दरों में घटोत्तरी एवं बढ़ोत्तरी की स्थिति दिखाई दी थी। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 के दौरान कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वास्तविक दृष्टि से औसत वार्षिक वृद्धि दर लगभग 2.88 रही है। सकल मूल्य वृद्धि में कृषि, वन, मत्स्य पालन क्षेत्र का अंशदान 2015-16 में 15.3 प्रतिशत से निरंतर घटकर वर्ष 2018-19 में 14.4 प्रतिशत हो गया।

कृषि और संबंधित क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण

कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वर्ष 2013-14 में 17.7 प्रतिशत की बढ़त दिखाई दी किंतु तत्पश्चात वर्ष 2017-18 में यह घटकर 15.2 प्रतिशत हो गई।

कृषि और संबंधित क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण में सार्वजनिक और निजी निवेश के अंशदान की तुलना करने पर यह दृष्टिगत होता है कि जहाँ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश के अंश में वर्ष 2014-15 में वृद्धि दिखाई दी है और यह वृद्धि वर्ष 2016-17 तक ऊपर बढ़ती हुई नजर आयी है वहीं इसी अवधि में सकल पूंजी निर्माण के क्षेत्र में निजी निवेश का अंशदान घटता हुआ दिखाई दिया है।

भारत में कृषि जोतों का ढाँचा

कृषि जनगणना 2015-16 के प्रथम चरण के परिणामों के अनुसार भारत में कार्यरत कृषि जोतों की संख्या अर्थात् कृषि उद्देश्य हेतु उपयोग में लाए जा रहे भूखंडों की संख्या वर्ष 2010-2011 में 138 मिलियन से बढ़कर 2015-16 में 146 मिलियन हुई है, इस प्रकार से इसमें 5.3 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई है। कुल सक्रिय जोतों में सीमांत जोतों (एक हेक्टेयर से कम) का अंश वर्ष 2000-2001 के 62.9 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 68.5 प्रतिशत हुआ है जबकि छोटी जोतों का अंश (एक हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर) इस अवधि के दौरान

18.9 प्रतिशत से घटकर 17.7 प्रतिशत हुआ। बड़ी जोतें (4 हेक्टेयर से अधिक) 6.5 प्रतिशत से घटकर 4.3 प्रतिशत हो गई।

महिला कृषकों की बढ़ती संख्या

महिलाएँ फसल उत्पादन, पशुपालन, बागवानी, कटाई के बाद के कार्यकलाप, कृषि/सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन इत्यादि सहित कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाओं द्वारा उपयोग में लाए जा रहे कार्यशील जोतों का हिस्सा वर्ष 2005-06 में 11.7 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 13.9 प्रतिशत हो...

नोट - प्रिय पाठकों, यह एक sample मात्र है यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नहीं हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको RAS मुख्य परीक्षा के कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है/ RAS मुख्य परीक्षा के कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें, धन्यवाद!

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्टूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये
पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्टूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये
राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें /

• कृषिगत सुधार

कोरोना वायरस (कोविड - 19) महामारी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ा है तथा इसके आयाम भी विविध हैं। भारत सरकार द्वारा इस संकट की स्थिति को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करने के उद्देश्य से मई 2020 में आत्मनिर्भरता भारत अभियान की शुरुआत की गयी। भारत को आत्मनिर्भरता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए इस अभियान के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी विविध पहलें की गयी हैं, जिनके अंतर्गत कृषि क्षेत्र में भी तीन ऐतिहासिक सुधारों की घोषणा (जून 2020 तक) की गयी।:

- आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन :- सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act, 1955) में ऐतिहासिक संशोधन किया गया। इस संशोधन के माध्यम से जहां एक ओर किसानों एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी वहीं दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र में निवेश का मार्ग (मूलतः भंडारण में) भी प्रशस्त होगा। आज भारत में अधिकांश कृषिगत उत्पादों में

अतिरेक (surplus) की स्थिति है तथा किसानों को इन उत्पादों का लाभकारी मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इस अधिनियम के प्रावधान निवेशकों को भंडारण, कोल्ड स्टोरेज एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेशों को हतोत्साहित करते हैं। बंपर फसल की उपज की स्थिति में जहां एक ओर किसानों को अपनी फसलों के उचित मूल्य नहीं मिलते वहीं दूसरे ओर उपभोक्ताओं को भी कृषिगत उत्पादों को महंगे मूल्यों पर खरीदना पड़ता है। जल्द नष्ट होने वाले उत्पादों के मामले में स्थिति और भी बदतर हो जाती है। इस संशोधन के द्वारा कृषि क्षेत्र को निम्न लाभ प्राप्त होने की सम्भावना है :

- अनाजों, दलहनों, तिलहनों खाद्य तेलों, प्याज एवं आलू जैसी वस्तुओं को अब इस अधिनियम के बाहर करने से निजी निवेशकों को इनसे जुड़ी व्यवसायिक गतिविधियों में कोई अवरोध नहीं रहेगा।
- उपजाने, भंडारण करने, आवागमन, वितरण एवं आपूर्ति की आजादी मिलने के कारण कृषि क्षेत्र में निजी निवेश (देशी एवं विदेशी) में वृद्धि आएगी।
- इससे कोल्ड स्टोरेज (जिसकी देश में भारी कमी है) एवं कृषि उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
- युद्ध, अकाल, प्राकृतिक आपदाओं इत्यादि की अवधियों एवं वस्तुओं के मूल्यों में विशेष वृद्धि आने की स्थिति में संबद्ध उत्पादों के मूल्यों को सरकार द्वारा विनियमित किया जा सकता है। लेकिन निर्यातकों एवं मूल्य श्रृंखला की अधिष्ठापित क्षमता के ऊपर यह विशेष उपबंध लागू नहीं होगा (ताकि निजी क्षेत्र बिना किसी ऐसे डर के निवेश कर सके)।
- बाधा - मुक्त व्यापार :- सरकार द्वारा फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एण्ड कॉमर्स (प्रमोशन एण्ड फेसिलिटेशन) अधिनियम, 2020 पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य कृषिगत उत्पादों के विपणन को बाधा - मुक्त (barrier - free) करना है। भारत में कृषिगत उत्पादों के बाजार पर उच्च विनियमन की व्यवस्था की है जिसका उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना था लेकिन समयांतराल में ज्ञात हुआ कि इससे उनके हितों की रक्षा नहीं बल्कि उनका हास होता है। किसानों को

अपने उत्पाद सिर्फ अपने राज्यों के ए. पी. एम. सी (APMC) द्वारा नियुक्त एजेंटों को ही बेचने की अनुमति है। इतना ही नहीं दो ए. पी. एम. सी के मध्य भी इन उत्पादों की खरीद - बिक्री की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त इन बिक्रियों पर शुल्कों का भी प्रावधान है। इस अध्यादेश द्वारा ऐतिहासिक तरीके से इन प्रतिबंधों को हटा दिया गया है तथा कृषि के लिए एक बाधा - मुफ्त बाजार की व्यवस्था की ओर की कदम बढ़ाया गया है जिससे निम्न लाभ की प्राप्ति की संभावना है :

- इसके माध्यम से किसानों एवं व्यापारियों के लिए कृषि उत्पादों के व्यापार के लिए एक उन्मुक्त वातावरण का विकास होगा।
- इसके माध्यम से राज्यों के अंदर एवं उनके बीच कृषि व्यापार का विकास होगा, जिसे एम. पी. एम. सी द्वारा चिन्हित भौतिक स्थलों के माध्यम से पूरी होने की कोई बाध्यता नहीं होगी।
- इससे किसानों को अपने उत्पादों को बेचने की न सिर्फ आजादी मिलेगी और बड़ा बाजार मिलेगा बल्कि विपणन की लागत में भी कमी आएगी।
- उत्पादों की किल्लत वाले प्रदेशों उपभोक्ताओं को जहां पहले से सस्ते उत्पाद मिल सकेंगे वहीं उत्पादों की बहुतायत वाले प्रदेशों में

नोट - प्रिय पाठकों , यह एक sample मात्र है यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नहीं हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको RAS मुख्य परीक्षा के कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है। RAS मुख्य परीक्षा के कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , धन्यवाद।

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबरकी दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये

राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें /

अध्याय - 2

औद्योगिक क्षेत्र की प्रवृत्तियां - औद्योगिक नीति एवं औद्योगिक वित्त उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण और आर्थिक सुधार, अवसरचना और आर्थिक वृद्धि

औद्योगिक नीति एवं औद्योगिक वित्त

औद्योगिक नीति का अर्थ-

औद्योगिक नीति से अर्थ सरकार के उस चिन्तन से है जिसके अन्तर्गत औद्योगिक विकास का स्वरूप निश्चित किया जाता है तथा जिसको प्राप्त करने के लिए नियम व सिद्धान्तों को लागू किया जाता है। औद्योगिक नीति एक व्यापक धारणा है, जिसमें दो तत्वों का मिश्रण होता है।

- औद्योगिक विकास एवं संरचना के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण अथवा दर्शन) क्या रहेगा ?
- इस दृष्टिकोण की प्राप्ति के लिये, औद्योगिक इकाइयों को नियन्त्रित एवं नियमित करने की दृष्टि से किन सिद्धान्तों, प्रक्रियाओं, नियमों और नियमनों को अपनाया जायेगा ?

औद्योगिक नीति में उन सभी सिद्धान्तों, नियमों व रीतियों का विवरण होता है जिन्हें उद्योगों के विकास के लिये अपनाया जाना है। यह नीति विशेष रूप से भावी उद्योगों के विकास, प्रबन्ध व स्थापना से सम्बन्धित होती है। इस नीति को बनाते समय देश का आर्थिक ढाँचा, सामाजिक व्यवस्था, उपलब्ध प्राकृतिक व

तकनीकी साधन व सरकारी चिन्तन का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है।

औद्योगिक नीति का महत्व

किसी भी राष्ट्र के उचित एवं तीव्र औद्योगिक विकास के लिये सुनिश्चित, सुनियोजित एवं प्रेरणादायक औद्योगिक नीति की आवश्यकता होती है, क्योंकि पूर्व घोषित औद्योगिक नीति के आधार पर ही कोई राष्ट्र अपने उद्योगों का आवश्यक मार्गदर्शन और निर्देशन कर सकता है। प्रत्येक राष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक नीति किस प्रकार से महत्वपूर्ण होती है :

1. वह देश के औद्योगिक विकास को सुनियोजित कर देश व अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करती है।
2. राष्ट्र को मार्गदर्शन व निर्देशन देती है।
3. सरकार को निश्चित कार्यक्रम बनाने में मदद करती है।
4. जनसाधारण को अपनी निश्चित जीविका का साधन बनाने में सहायता करती है।

भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए औद्योगिक नीति बहुत प्रकार से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ नियोजित अर्थव्यवस्था के माध्यम से औद्योगिक विकास हो रहा है। देश में प्रकृतिक साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं लेकिन उनका उचित विदोहन नहीं हो रहा है। यहाँ प्रतिव्यक्ति आय कम होने के कारण पूँजी निर्माण की दर भी कम है तथा उपलब्ध पूँजी सीमित मात्रा में है। अतः आवश्यक है कि उसका उचित प्रयोग किया जाए। देश का सन्तुलित विकास करने के लिए संसाधनों को उचित दिशा में प्रवाहित करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, वितरण की व्यवस्था सुधारने के लिए, एकाधिकार, संयोजन और अधिकार युक्त हितों को समाप्त करने अथवा नियन्त्रित करने के लिए कुछ गिने हुए व्यक्तियों के हाथ में धन अथवा आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण को रोकने के लिए, असमताएँ घटाने के लिए, बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए, विदेशों पर निर्भरता समाप्त करने के लिए तथा देश को सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए एक उपयुक्त एवं स्पष्ट औद्योगिक नीति की आवश्यकता होती है। वे क्षेत्र जहाँ व्यक्तिगत उद्यमी पहुँचने में

समर्थ नहीं हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में रखे जाएँ और सरकार उनका उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले। साथ ही यह भी आवश्यक है कि निजी क्षेत्र का उचित नियन्त्रण भी होना चाहिए जिससे कि विकास योजनाएँ ठीक प्रकार से चलती रहे।

भारत में औद्योगिक नीति का विकास

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले भारत में किसी औद्योगिक नीति की घोषणा कभी नहीं की गई, क्योंकि भारत में ब्रिटिस सरकार का शासन था तथा उनकी नीति ब्रिटेन के हितों से प्रेरित थी और वह भारत में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन नहीं देना चाहती थी। द्वितीय महायुद्ध के अनुभवों के बाद सरकार ने देश में औद्योगिक नीति की आवश्यकता महसूस की जिसके फलस्वरूप सन् 1944 में नियोजन तथा पुनर्निर्माण (Planning and Reconstruction) विभाग की स्थापना की गयी। इस विभाग के अध्यक्ष सर आर्देशीर दयाल द्वारा 21 अप्रैल 1945 को एक औद्योगिक नीति विवरण पत्र जारी किया गया लेकिन व्यवहार में उसको क्रियान्वित न किया जा सका। ब्रिटिस सरकार ने भारत के औद्योगिक विकास के प्रति उदासीनता की नीति अपनाई और उनका सदैव यह प्रयास रहा कि भारत कच्चे माल का निर्यातक (Exporter) और निर्मित माल का आयातक (Importer) बना रहे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में तीव्र आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक नीति की घोषणा करना आवश्यक समझा गया। इसके लिए भारत सरकार ने दिसम्बर 1947 में एक 'औद्योगिक सम्मेलन' का आयोजन किया। इस सम्मेलन में यह निष्कर्ष निकला कि भारत सरकार को जल्दी ही एक स्पष्ट औद्योगिक नीति की घोषणा करनी चाहिए। औद्योगिक सम्मेलन की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा 6 अप्रैल, 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं पूर्ति मन्त्री डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर तैयार की गयी प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई।

1. औद्योगिक नीति, 1948 -

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् 6 अप्रैल, सन् 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई इस नीति में आगामी कुछ वर्षों तक विद्यमान औद्योगिक इकाइयों का राष्ट्रीयकरण (Nationalization) न करने और सरकारी स्वामित्व में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार प्रथम औद्योगिक नीति में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ कार्य करने पर जोर दिया गया।

औद्योगिक नीति 1948 की विशेषताएँ -

(i) उद्योगों का वर्गीकरण - इस नीति के अन्तर्गत उद्योगों को चार भागों में विभाजित किया गया:-

पूर्णतया सरकारी क्षेत्र - इस क्षेत्र में सुरक्षात्मक एवं राष्ट्रीय हित के लिए प्रमुख तीन उद्योग शस्त्र निर्माण और युद्ध सामग्री, परमाणु शक्ति के उत्पादन और नियंत्रण तथा रेल यातायात के स्वामित्व और प्रबन्ध को....



नोट - प्रिय पाठकों, यह एक sample मात्र है यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नहीं हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको RAS मुख्य परीक्षा के कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है। RAS मुख्य परीक्षा के कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें, धन्यवाद।

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

whatsapp- <https://wa.link/g840vp> 28website-<https://bit.ly/ras-mains-notes>

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये
पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबरकी दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये
पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये
पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये
राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें /



• औद्योगिक वित्त

औद्योगिक वित्त का अर्थ (Industrial Finance) -

औद्योगिक वित्त दो शब्द औद्योगिक + वित्त अर्थात् उद्योग जगत् के लिए पूँजी की आवश्यकता से माना जाता है। सरल शब्दों में जब औद्योगिक क्षेत्र के विकास-स्थापना से लेकर पुनर्जीवन (Innovation) अर्थात् बीमार औद्योगिक इकाई के पुनः संचालन, आधुनिकीकरण, यन्त्रीकरण आदि के लिए पूँजी की व्यवस्था ही औद्योगिक वित्त कहलाता है। अन्य शब्दों में औद्योगिक वित्त से तात्पर्य उद्योगों की धन सम्बन्धी आवश्यकताओं की आपूर्ति से होता है।

औद्योगिक वित्त के प्रमुख स्रोत

भारतवर्ष में औद्योगिक वित्त के प्रमुख स्त्रीत निम्न हैं - (I) अंशों का निर्गमन, (II) ऋण पत्र, (III) जन निक्षेप, (IV) लाभ का पुनः विनियोग, (V) बैंक, (VI) भारतीय वित्तीय संस्थाएँ, (VII) देशी बैंकर्स।

(I) अंशों का निर्गमन (Issue of Shares) - भारतीय उद्योग जगत् की पूँजी की माँग की पूर्ति के लिए अंश पूँजी (Share capital) एक प्रमुख वित्तीय स्रोत है। उद्योग एक्ट 1956 के अनुसार दो प्रकार के अंशों का निर्गमन किया जा सकता है- (1) समता अंश, (2) पूर्णाधिकार अंश।

समता अंश को साधारण अंश भी कहते हैं। प्रायः भारतीय उद्योग पूँजी की प्राप्ति समता अंश से ही करते हैं। इस प्रकार के साधारण अंश पूँजी को जोखिम पूँजी भी कहते हैं। जबकि पूर्णाधिकार अंश वे हैं, जिसमें पूँजीदाता एक निश्चित दर पर लाभांश प्राप्त करने का पूर्णाधिकार प्राप्त कर लेता है। ऐसे अंश- परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, संचयी, असंचयी, शोधित, अंशोधित आदि रूपों में भी हो सकते हैं।

(II) ऋण-पत्रों का निर्गमन (Issue of Debentures)- औद्योगिक इकाइयों को वित्त

की आपूर्ति का दूसरा स्रोत ऋण पत्र होते हैं, जिन्हें बॉण्ड्स (Bonds) भी कहते हैं। ध्यान रहे, ऋण पत्र में उल्लिखित धनराशि, कम्पनी को देय होती है।

(III) **लाभ का पुनः विनियोग (Re-Investment of Profits)**- औद्योगिक जगत में लाभ का पुनः विनियोग से तात्पर्य जब कोई औद्योगिक इकाई स्व आर्जित लाभ का कुछ हिस्सा सदस्यों को वितरित कर दे, शेष धनराशि को पुनः निवेश कर अपनी भावी योजनाएँ पूर्ण करे तो उसे लाभों का पुनः विनियोग कहते हैं।

(IV) **जन निक्षेप (Public Deposit)**- जन निक्षेप से तात्पर्य जब जनता द्वारा जमा किया गया धन औद्योगिक संस्थाओं के विकास में लगा दिया जाता है और जनता के धन पर उसे ब्याज प्राप्त होता रहे तो ऐसे निवेश को जन निक्षेप कहा जाता है। भारतवर्ष में जन निक्षेप की व्यवस्था सदियों पुरानी है, क्योंकि जनता का धन औद्योगिक विकास में विनियोग होता है। महाराष्ट्र के सूती उद्योग, चानी उद्योग, रासायनिक एवं इन्जीनियरिंग उद्योग जन निक्षेप पर ही चल रहे हैं।

(V) **बैंकों द्वारा ऋण (Debts from Banks)** - भारतवर्ष के औद्योगिक क्षेत्र को ऋण प्राप्त करने का सबसे सुगम साधन बैंक माना जाता है जो औद्योगिक इकाइयों को ऋण प्रदान करती हैं। ध्यान रहे बैंकिंग संस्थाएँ

नोट - प्रिय पाठकों , यह एक sample मात्र है यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नहीं हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको RAS मुख्य परीक्षा के कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है/ RAS मुख्य परीक्षा के कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , धन्यवाद!

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबरकी दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये

राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें /

अध्याय - 7

सामाजिक क्षेत्र - गरीबी, बेरोजगारी एवं असामनता, स्वास्थ्य सेवा एवं नयी शिक्षा नीति

• बेरोजगारी -

- बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पाते हैं।
- या इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि एक शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम व्यक्ति जो काम करने का इच्छुक है लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता है।
- बेरोजगारी को समझने के लिए श्रम बल और कार्य बल के बीच अन्तर समझना अति आवश्यक है।
- श्रम बल- देश में 15 वर्ष की आयु लेकर 60 वर्ष की आयु तक के लोग श्रम बल के अंतर्गत आते हैं।
- कार्य बल - श्रम बल लोग जिनको कार्य/रोजगार मिल जाता है राष्ट्र का कार्य बल कहलाते हैं।
- अतः बेरोजगारी को निम्न रूप में भी समझा जा सकता है।
$$\text{बेरोजगारी} = \text{श्रमबल} - \text{कार्यबल}$$
- जब किसी देश में पूर्ण श्रम बल को रोजगार प्राप्त हो जाए अर्थात् पूर्ण श्रम बल, कार्य बल में बदल जाये तब देश में पूर्ण रोजगार होगा।
$$\text{पूर्ण रोजगार} = \text{श्रमबल} = \text{कार्यबल}$$

बेरोजगारी का मापन (Measurement of Unemployment)

- बेरोजगारी को मापने के लिए वर्ष 1970 में भगवती समिति बनायी गयी थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर बेरोजगारी को मापने के लिए तीन तरीके बनाये गये।

1. दीर्घकालिक बेरोजगारी

- यदि किसी सर्वेक्षण वर्ष में किसी व्यक्ति को 183 दिन (8 घंटे प्रति दिन) रोजगार नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति दीर्घकालिक बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। वर्तमान में इस 183 दिन के मानक को बदल कर 273 दिन कर दिया गया है।

2. साप्ताहिक बेरोजगारी

- यदि किसी व्यक्ति को सप्ताह में 1 दिन (8 घंटे) का काम न मिले तो उसे साप्ताहिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है।

3. दैनिक बेरोजगारी

- यदि किसी को प्रति दिन आधे दिन (4 घंटे) का काम न मिले तो उसे दैनिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है।

भारत में बेरोजगारी (unemployment in India)

ग्रामीण बेरोजगारी (Rural Unemployment)	शहरी बेरोजगारी (Urban Unemployment)
1. अदृश्य बेरोजगारी (Disguised Unemployment)	1. औद्योगिक बेरोजगारी (Industrial Unemployment)
2. मौसमी बेरोजगारी (Seasonal)	2. शिक्षित बेरोजगारी (Educated)

Unemployment)

Unemployment)

शहरी बेरोजगारी (Urban Unemployment)

- औद्योगिक बेरोजगारी (Industrial Unemployment): औद्योगिक बेरोजगारी में वे लोग शामिल होते हैं जो लोग तकनीकी एवं गैर तकनीकी रूप के अन्तर्गत कार्य करने की क्षमता तो रखते हैं परन्तु बेरोजगार हैं।
- देश में औद्योगिक बेरोजगारी में वृद्धि के कारणों में औद्योगीकरण की धीमी प्रक्रिया तथा अनुपयुक्त तकनीकी का प्रयोग शामिल हैं।

शिक्षित बेरोजगारी (Educated Unemployment):

पढ़े-लिखे लोगों द्वारा रोजगार न प्राप्त कर पाना शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। भारत में शिक्षित वर्ग में रोजगारी की समस्या अत्यधिक गंभीर है।

इसका मुख्य कारण है।

- देश में शिक्षण संस्थाओं जैसे- विश्वविद्यालय, कॉलेजों, स्कूलों आदि की संख्या में वृद्धि होने के कारण शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि होना ।
- भारत में शिक्षा प्रणाली रोजगारपरक नहीं बल्कि उपाधिपरक है अर्थात् भारत में शिक्षा व्यवस्था दोषपूर्ण है।

ग्रामीण बेरोजगारी (Rural Unemployment)

प्रच्छन्न / अवृश्य बेरोजगारी (Disguised unemployment) : जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा व्यक्ति शामिल रहते हैं जबकि उतने लोगों की जरूरत नहीं होती है, तो यह स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है।

- इसमें सीमांत उत्पादकता शून्य या ऋणात्मक होती है।
- यह जनसंख्या के अधिक दबाव और रोजगार के वैकल्पिक अवसरों की कमी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में बनी रहती है।
- इसे पूंजी निर्माण, गैर-कृषि गतिविधियों के विकास के द्वारा किया जाता है इस बेरोजगारी का माप संभव नहीं है।

मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment) :

एक वर्ष के किसी मौसम या कुछ महीनों के लिए किसी व्यक्ति को रोजगार मिलना तथा शेष महीनों या मौसम में कार्य नहीं मिलना मौसमी बेरोजगारी कहलाती है।

बेरोजगारी के अन्य प्रकार (Other types of unemployment)

पूर्ण बेरोजगारी तथा अर्द्ध बेरोजगारी

- यदि किसी व्यक्ति के पास 35 कार्य दिवस से भी कम दिनों का रोजगार हो तो वार्षिक स्तर पर उसे पूर्ण बेरोजगार माना जाता है।
- यदि उसके कार्य दिवस 35 से ज्यादा एवं 135 दिनों से कम हो तो उसे अर्द्ध बेरोजगार माना जायेगा।
- 135 दिनों से अधिक के रोजगार की स्थिति में उसे पूर्ण रोजगार माना जाता है।

संरचनात्मक बेरोजगारी (Structured Unemployment)

- यह एक दीर्घकालीन समस्या है। यदि देश की उत्पादक संस्थाओं की संख्या में कमी, तकनीकी परिवर्तन आदि के कारण रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं तो श्रमशक्ति का एक बड़ा वर्ग बेरोजगार हो जाता है। तो इस प्रकार की समस्या को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यह अल्पविकसित एवं विकासशील देशों में पायी जाती है।
- यह आपूर्ति पक्ष में कमी एवं विसंगति के कारण उत्पन्न होता है।
- आधारभूत संरचनाओं के विकास, बचत, निवेश, कौशल विकास आदि पर ध्यान केन्द्रित कर इसे दीर्घकाल में कम किया जा सकता है।

खुली बेरोजगारी (Open Unemployment)

खुली बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जिसमें यद्यपि श्रमिक काम करने के लिए उत्सुक हैं और उसमें काम करने की आवश्यक योग्यता भी है तथापि उसे काम प्राप्त नहीं होता। वह पूरा समय बेकार रहता है।

चक्रीय बेरोजगारी (Cyclic Unemployment)

यह बेरोजगारी अल्पकालिक होती है। वैश्विक स्तर पर विकसित देशों में

• कोविड 19 महामारी

संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय ने चेतावनी दी है कि भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लगभग 400 मिलियन लोगों को कोरोनावायरस संकट के कारण गरीबी में गिरने का खतरा है और यह भी उम्मीद है कि विश्व स्तर पर इस वर्ष की दूसरी तिमाही में 195 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियां खत्म हो जाएंगी या काम के घंटों का 6.7 प्रतिशत समाप्त हो जाएगा ।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट (ILO):

- स्वास्थ्य संकट और विश्व में वायरस की चपेट में आने के समय में कोविड 19 ILO ने रिपोर्ट जारी की।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने अपनी रिपोर्ट में जिसका शीर्षक "ILO मॉनिटर द्वितीय संस्करण: COVID-19 और कार्यरत दुनिया है, में कोरोनावायरस महामारी को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे खराब वैश्विक संकट "बताया है।
- विकसित और विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं में श्रमिकों और व्यवसायों को तबाही का सामना करना पड़ रहा है। हमें तेजी से, निर्णायक रूप से और एक साथ आगे बढ़ना होगा। सही जरूरी, उपाय, अस्तित्व और पतन के बीच अंतर कर सकता है।
- दुनिया भर में दो अरब लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं (ज्यादातर उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में) और विशेष रूप से जोखिम में हैं, रिपोर्ट में कहा गया है कि COVID-19 संकट पहले से ही लाखों अनौपचारिक श्रमिकों को प्रभावित कर रहा है।
- भारत में, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लगभग 90 प्रतिशत लोगों के साथ, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में लगभग 400 मिलियन श्रमिकों के संकट के दौरान गरीबी गिरने का खतरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में वर्तमान लॉकडाउन के उपाय, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के "COVID-19 सरकारी सख्त प्रतिक्रिया

सूचकांक" के उच्च अंत पर हैं, ने इन श्रमिकों को काफी प्रभावित किया है, जिससे उनमें से कई शहरों को मजबूरन छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में वापस आने के लिये विवश

रिपोर्ट के महत्वपूर्ण निष्कर्ष:

- पहले ILO मॉनिटर के बाद से, COVID-19 महामारी ने तीव्रता के मामले में और तेजी ला दी है और वैश्विक पहुंच में विस्तार किया है।
- कोविड 19 महामारी ने दुनिया के 81% कार्यबल को प्रभावित किया है 2.7 बिलियन (कुल 3 बिलियन में से) ।

इस वर्ष की दूसरी तिमाही में वैश्विक स्तर पर 195 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों या 6.7% कामकाजी घंटों के समाप्त होने की

नोट - प्रिय पाठकों , यह एक sample मात्र है यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नहीं हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको RAS मुख्य परीक्षा के कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है/ RAS मुख्य परीक्षा के कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , धन्यवाद/

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

whatsapp- <https://wa.link/g840vp> 39website-<https://bit.ly/ras-mains-notes>

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबरकी दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये
पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये
पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये
राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें /

• भारत में असमानता

भारत, काफी प्रभावशाली आर्थिक संवृद्धि वाला एक गतिशील देश है। विकास कार्यों के परिणाम स्वरूप यहां आर्थिक संवृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में सुधार, देश में निर्धनता के स्तर आदि में कमी आई है। यह वास्तविकता है कि देश की जनसंख्या में निर्धनों के प्रतिशत में लगातार कमी आई है। लेकिन देश के विभिन्न प्रांतों में सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर में बहुत अधिक विषमता पाई जाती है। रहन-सहन के स्तर में भारी अंतर का विस्तार जिसे प्रति व्यक्ति आय से मापा जाता है। विभिन्न राज्यों में, प्रति व्यक्ति आय में अन्तर है जैसे बिहार में प्रतिव्यक्ति 12,000 रु. और गोवा में 100,000 रु. प्रति व्यक्ति आय है। ये इतिहास और भूतकालीन संवृद्धि के अनुभव के परिणाम हैं हैं। दूसरी अन्य संबंधित विषमताएं शिक्षा, साक्षरता दर, स्वास्थ्य, आधारिक संरचना, जनसंख्या वृद्धि, निवेश व्यय तथा प्रदेशों की बनावट में भी हैं। पिछले दशक में क्षेत्रीय विषमता दर्शाती है कि धनी और गरीब क्षेत्रों में काफी अंतर है, जिसमें गोवा सबसे अधिक धनी क्षेत्र है तथा बिहार सबसे गरीब क्षेत्र है। 2010-11 में चंडीगढ़ सबसे धनी था, किंतु बिहार सबसे गरीब रहा। इस अवधि में वार्षिक

औसत वृद्धि दर में भी काफी अंतर हैं, जो चंडीगढ़ में 8.39 प्रतिशत है तथा जम्मू और कश्मीर में मात्र 2.71 प्रतिशत। इसके अतिरिक्त इस दशक में ऊपर के चार सबसे धनी क्षेत्र अर्थात् गोवा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पांडुचेरी में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू राज्य उत्पाद में दूसरे क्षेत्रों से काफी तीव्र गति से वृद्धि हुई है।

भारत में क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि के कारण

ऐतिहासिक कारक

भारत में ऐतिहासिक क्षेत्रीय असंतुलन अंग्रेजी शासन काल से प्रारंभ हुआ। अंग्रेज उद्योगपति अपनी आर्थिक गतिविधियां मुख्य रूप से दो राज्यों- पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र में केंद्रित रखते थे। प्रमुख रूप से उनके महानगरों जैसे-कोलकाता, मुंबई और चैन्नई में। उन्होंने अपने समस्त उद्योग इन नगरों में तथा उनके आस-पास केंद्रित किए तथा शेष देश को पिछड़ा रहने के लिए तिरस्कृत कर दिया।

भौगोलिक कारक

भारत का बड़ा भू-भाग, पहाड़ियों, नदियों तथा घने जंगलों से घिरा है। यह संसाधनों की गतिशीलता को आंशिक रूप से कठिन बनाने के

नोट - प्रिय पाठकों, यह एक sample मात्र है यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नहीं हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको RAS मुख्य परीक्षा के कम्प्लीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है। RAS मुख्य परीक्षा के कम्प्लीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें, धन्यवाद।

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबरकी दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये

राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें !

वैश्विक अर्थव्यवस्था

अध्याय - 1

वैश्विक आर्थिक मुद्दे और प्रवृत्तियाँ

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष-

वर्तमान स्वरूप - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 189 सदस्य राष्ट्रों वाला एक संगठन है जिनमें से प्रत्येक देश का इसके वित्तीय महत्त्व के अनुपात में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड में प्रतिनिधित्व है।

इस प्रकार वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो राष्ट्र अधिक शक्तिशाली हैं उस राष्ट्र के पास अधिक मताधिकार हैं।

इतिहास - इसका अस्तित्व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण के प्रयास में अनेक प्रयास विश्व भर में किये गये और मित्र राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने 1945 में ब्रिटेन बुड्स समझौते के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की स्थापना किया।

इन दोनों के गठन के लिए 730 प्रतिनिधि देशों में 44 मित्र राष्ट्र देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय व्यवस्था को विनियमित करने के तरीके को निर्धारित करने के लिए न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन बुड्स में माउंट वाशिंगटन होटल में सम्मेलन के रूप में जमा हुए। ब्रिटेन बुड्स के प्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से 1918 में अमेरिकी राष्ट्रपति बुडरो विल्सन द्वारा प्रस्तावित विचार को सहमति दी थी कि मुक्त व्यापार ने वैश्विक समृद्धि और शांति को बढ़ावा दिया। वे आश्चस्त थे कि 1930 और

आरंभिक 1940 के दशक में बड़े अवसाद का सामना करने के लिए अपनाई गई नीतियाँ - उच्च शुल्क (टैरिफ), मुद्रा अवमूल्यन, भेदभावपूर्ण व्यापार गुट - के परिणामस्वरूप एक

अनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय वातावरण था। तब, यह दृढ़ संकल्प था कि आर्थिक सहयोग शांति और समृद्धि प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक वैश्विक संगठन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य विनिमय दरों को स्थिर करने और जरूरत वाले देशों को ऋण प्रदान करने में मदद करना है। संयुक्त राष्ट्र के लगभग सभी सदस्य आईएमएफ के सदस्य हैं, क्यूबा, लिचेस्टीन और अंडोरा जैसे कुछ अपवादों के साथ।

आईएमएफ के उद्देश्य

- (i) वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- (ii) वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना।
- (iii) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना।
- (iv) दुनिया भर में गरीबी को कम करना।

आईएमएफ के भूमिका और कार्य

आईएमएफ के मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य करता है :

- (i) अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग

विनिमय दर स्थिरता को बढ़ावा

नोट - प्रिय पाठकों, यह एक sample मात्र है यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नहीं हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको RAS मुख्य परीक्षा के कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा। यह तो एक sample मात्र ही है। RAS मुख्य परीक्षा के कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें, धन्यवाद।

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबरकी दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये

राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें।

अध्याय - 2

सतत विकास एवं जलवायु परिवर्तन

सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals):

रियो+20 के परिणामों के भाग के रूप में सतत विकास लक्ष्यों को संभावित डेलिबरेबल के रूप में देखा जा रहा है। जोहानसबर्ग कार्यान्वयन योजना के विभिन्न अध्यायों के अंतर्गत मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों लक्ष्यों के प्रस्ताव रखे गए हैं। उपलब्ध समय को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव किया जा रहा है कि रियो+20 के दौरान एसडीजी पर चर्चा हो और इसे अंगीकार किए जाने की बाद की तारीख निर्धारित करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की जाए जो वर्ष 2015 के बाद भी जारी रहे। भारत ऐसे किसी मात्रात्मक लक्ष्यों का निर्धारण किए जाने का समर्थन नहीं करता है, जिससे विकासशील देशों में कार्यान्वयन के तौर तरीकों का प्रावधान किए बिना ही आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो।

इसके अतिरिक्त रियो+20 में सतत विकास से संबद्ध किसी कार्यान्वयन आधारित निष्कर्ष में साझे परंतु भिन्न दायित्वों (सीबीआरडी) का अवश्य ध्यान रखा जाए। एमडीजी में विशेषकर विकासशील देशों की कार्यान्वयन प्रक्रियाओं पर ही बल दिया गया था, परंतु एसडीजी न सिर्फ सभी के लिए होनी चाहिए अपितु सीबीआरडी के सिद्धांतों के अनुरूप विकसित देशों को ही सर्वप्रथम लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में आगे आना चाहिए।

सतत विकास लक्ष्य हैं,

1. गरीबी नहीं
2. जीरो हंगर
3. अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण

4. गुणवत्ता शिक्षा
5. लैंगिक समानता
6. स्वच्छ जल और स्वच्छता
7. सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा
8. कार्य और आर्थिक विकास का निर्णय
9. इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर
10. असमानता को कम करना
11. स्थायी शहर और समुदाय
12. जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन
13. जलवायु क्रिया
14. पानी के नीचे जीवन
15. जमीन पर जीवन
16. शांति, न्याय और मजबूत संस्थान
17. लक्ष्यों के लिए साझेदारी

सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना -

एसडीजी एक प्रकार का वैश्विक लक्ष्य है। ये व्यापक, सार्वभौमिक और एकीकृत हैं तथा गरीबी एवं असमानता, आर्थिक विकास, नवाचार, सतत् उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, शांति एवं न्याय और सहभागिता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बल देते हैं। एक आकलन के अनुसार, प्रति वर्ष

नोट - प्रिय पाठकों , यह एक sample मात्र है यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नहीं हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको RAS मुख्य परीक्षा के कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है/ RAS मुख्य परीक्षा के कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , धन्यवाद/

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्टूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्टूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये

राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें /

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

अध्याय - 1

कृषि परिदृश्य - उत्पादन एवं उत्पादकता । जल संसाधन और सिंचाई कृषि विपणन , डेयरी और पशुपालन

कृषि परिदृश्य -

- प्रिय छात्रों इस अध्याय में हम राजस्थान में कृषि एवं पशुसंपदा का अध्ययन करेंगे । हम स्थायी तथ्यों के अलावा परिवर्तनशील वर्तमान आंकड़ों का भी अध्ययन करेंगे । हम कृषि तथा पशु संपदा का वर्तमान अर्थव्यवस्था में महत्व भी जानेंगे तथा इनसे संबंध क्षेत्रों का जो कि हमारी अर्थव्यवस्था में महत्व रखते हैं उनका भी अध्ययन करेंगे ।
- राजस्थान की कृषि
- यहां हम कृषि कि विभिन्न पद्धतियों का अध्ययन करेंगे । जो कि निम्न हैं -
- राजस्थान में कृषि पद्धतियों का वर्गीकरण
- मिश्रित कृषि
- कृषि का वह रूप जिसमें पशुपालन व कृषि साथ साथ कि जाती है । मिश्रित कृषि कहलाती है ।
- खडीन कृषि - प्लाया झीलों में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली कृषि। प्याला झिलों में 3 तरफ खेत के मिटटी कि दिवार बनाकर ढलान पर वर्षा का जल एकत्र कर कृषि कि जाती है । (सर्वाधिक - जैसलमेर)
- ड्यूओ कल्चर - एक वर्ष में एक खेत में दो फसलों का उत्पादन ।
- ओलिंगो कल्चर - एक वर्ष में एक खेत में तीन फसलों का उत्पादन ।

- रिले कृषि - जब एक कृषि वर्ष में 4 बार फसलों का उत्पादन। (कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून)
- स्थानांतरित कृषि - वनों को काटकर या जलाकर की जाने वाली कृषि को स्थानान्तरित कृषि कहा जाता है।
- आदिवासियों द्वारा डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं बाँसवाड़ा क्षेत्र में जंगल में आग लगाकर बची राख फैलाकर वर्षा होने पर अनाज बोकर फसल तैयार की जाती है। उसे झूमिंग या स्थानान्तरित कृषि कहते हैं। आदिवासियों में यह वालरा' नाम से जानी जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों की वालरा 'चिमाता' एवं मैदानी क्षेत्रों की वालरा 'दजिया' कहलाती है।
- **शुष्क कृषि (बारानी)-**
- 50 सेमी. से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा जल का सुनियोजित रूप से संरक्षण व उपयोग कर कम पानी की आवश्यकता वाली व शीघ्र पकने वाली फसलों की कृषि की जाती है। यह कृषि राज्यों के अधिकांश जिलों में की जाती है। (सर्वाधिक-बाड़मेर)
- **आर्द्र कृषि-**
- 100 सेमी. से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उपजाऊ कांप व काली मिट्टी पर उन्नत व व्यापारित फसल प्राप्त की जाती है, वह 'आर्द्र कृषि' कहलाती है। राज्य के बारां, झालावाड़, कोटा, बाँसवाड़ा, एवं चित्तौड़गढ़ में आर्द्र कृषि की जाती है।
- **सिंचित कृषि-**
- यह कृषि राज्य के उन क्षेत्रों में की जाती है जहां सिंचाई के लिए जल नहरों, नलकूपों से लिया जाता है। जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर में नहरों का जल सुगमता से उपलब्ध हो जाता है। राज्य की लगभग 32 प्रतिशत कृषि भूमि पर वर्षा के अलावा अन्य स्रोतों से पानी देकर फसल तैयार की जाती है। यह 50 से 100 सेमी. वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। अलवर, भरतपुर, करौली, सर्वाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि जिले इस क्षेत्र में आते हैं।

- 2. ऋतु के आधार पर
- (i) खरीफ की फसलें
- (अ) खरीफ की प्रमुख फसलें धान, मक्का, ज्वार, मूंग, मूंगफली, लोबिया, कपास, जूट, बाजरा, ग्वार, तिल, मोठ आदि हैं।
- (ब) खरीफ की फसलों की बुवाई जुलाई में और कटाई अक्टूबर महीने में की जाती है।
- (ii) रबी की फसलें
- (अ) रबी की प्रमुख फसलें जौ, राई, गेहूँ, जई, सरसों, मैथी, चना, मटर आदि हैं।
- (ब) रबी की फसल की बुवाई अक्टूबर में तथा कटाई अप्रैल महीने में की जाती है।
- (iii) जायद की फसलें
- (अ) जायद की प्रमुख फसलों में तरबूज, खरबूज, टिंडा, ककड़ी, खीरे, मिर्च आदि हैं।
- (ब) जायद की फसल की बुवाई मार्च में तथा कटाई जून महीने में की जाती है।
- 3. उपयोग के आधार पर
- (i) खाद्यान फसलें - राजस्थान की खाद्यान फसलें गेहूँ, चावल (धान), बाजरा, जौ, मक्का, ज्वार, दलहन, तिलहन प्रमुख हैं।
- (ii) वाणिज्यिक फसलें - राजस्थान की वाणिज्यिक फसलें कपास और गन्ना हैं।
- राजस्थान में खाद्यान्नों में गेहूँ, जौ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, रबी एवं खरीफ की दलहन फसलें शामिल हैं।
- 1. गेहूँ
- राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में खाद्यान्न फसल के रूप में गेहूँ बोया जाता है। गेहूँ को बोये जाने के समय तापमान कम से कम 8° से 10° सें. तक होना चाहिए तथा पकने के समय तापमान 15° से 20° सें. तक होना चाहिए।

- 50 सेमी. से 100 सेमी. के बीच वर्षा की आवश्यकता होती है। राजस्थान में साधारण गेहूं (ट्रीटीकम) एवं मेकरोनी गेहूं (लाल गेहूं) सर्वाधिक पैदा होता है। गेहूं उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र पूर्वी एवं दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अलवर, कोटा, गंगानगर, हनुमानगढ़ और सवाई माधोपुर जिले हैं।
- राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं गंगानगर जिले में उत्पादित होता है इसलिए गंगानगर जिला अन्न का भण्डार कहलाता है।
- नाइट्रोजन युक्त दोमट मिट्टी, महीन काँप मिट्टी व चीका प्रधान मिट्टी गेहूं उत्पादन हेतु उपयुक्त होती है। मिट्टी pH मान 5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए।
- राजस्थान में दुर्गापुरा-65, कल्याण सोना, मैक्सिकन, सोनेरा, शरबती, कोहिनूर, सोनालिका, गंगा सुनहरी, मंगला, कार्निया-65, लाल बहादुर, चम्बल-65, राजस्थान-3077 आदि किस्में बोई जाती हैं।
- गेहूं में छाछया, करजवा, रतुआ, चेपा रोग पाए जाते हैं।
- इण्डिया मिक्स- गेहूं, मक्का व सोयाबीन का मिश्रित आटा।
- **2. जौ**
- राजस्थान में जौ उत्पादन क्षेत्रफल लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर है।
- भारत के कुल उत्पादन का 1/4 भाग राजस्थान में पैदा होता है। जौ शीतोष्ण जलवायु का पौधा है तथा रबी की फसल है।
- जौ की बुवाई के समय लगभग 10° से तापमान की आवश्यकता है तथा काटते समय 20° से 22° सेन्टीग्रेड तापमान होना चाहिए।
- जौ के लिए शुष्क और बालू मिश्रित काँप मिट्टी उपयुक्त रहती है।
- जौ की प्रमुख किस्में ज्योतिराजकिरण, R-D. 2503, मोल्वा आदि हैं। राजस्थान में प्रमुख जौ उत्पादन जिले जयपुर (सर्वाधिक), उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा व अजमेर हैं।
- जौ का उपयोग मिसी रोटी बनाने, मधुमेह रोगी के उपचार, शराब व बीयर बनाने, माल्ट उद्योग में किया जाता है।

• 3. बाजरा

- विश्व का सर्वाधिक बाजरा भारत में पैदा होता है। बाजरे के उत्पादन एवं क्षेत्रफल में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। राजस्थान देश का लगभग एक तिहाई बाजरा उत्पादित करता है।
- बाजरा राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली खरीफ की फसल है।
- बाजरा के लिए शुष्क जलवायु उपयुक्त रहती है।
- बाजरे की बुवाई मई, जून या जुलाई माह में होती है। बाजरे की बुवाई करते समय तापमान 35° से 40° सेन्टीग्रेड तक होना चाहिए।

बाजरे के लिए 50 सेमी. से कम

• कृषि योजनाएं -

सौर पम्प कृषि-कनेक्शन योजना

सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना राज्य में लगभग 70 हजार आवेदकों के कृषि पम्प सेटों को सौर ऊर्जा से ऊर्जाकृत करने एवं ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। आवेदकों में किसान वो शामिल हैं जिनके कृषि कनेक्शन दिसंबर 2013 से लंबित हैं।

विशेषताएं:

- पहले चरण में, 10,000 सौर पंप स्थापित किए जाएंगे।
- इस योजना में पंजीकरण के लिए सामान्य कृषि कनेक्शन पावर निगम के संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में 1000 / - रुपये जमा करके आवेदन करने में सक्षम होंगे।

- 60 प्रतिशत राशि योजना में सरकार द्वारा वहन की जाएगी और शेष 40 प्रतिशत आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा।
- 7 साल के लिए संचालन, रखरखाव और बीमा की स्थापना निगम द्वारा की जाएगी।

किसान कल्याण योजना

- किसान कल्याण योजना को किसानों को सब्सिडी दरों पर 'सुपर', 'ए' और 'बी' वर्ग में कृषि उपज मंडी समताओं में गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करने के लिए पेश किया गया है।

महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015

महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 को राज्य में शुरू किया गया है। इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं:

- लाइसेंसधारक महिला श्रमिकों को दो गर्भावस्था की अवधि के लिए अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर अनुसार 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि प्रदान की जा रही है।
- लाइसेंसधारक महिला श्रमिक के विवाह एवं उसकी दो पुत्रियों की सीमा तक 20 हजार रुपए प्रति विवाह सहायता राशि प्रदान की जा रही है।
- 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर लाइसेंसधारी मजदूर का बेटा / बेटी इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के हकदार है।
- गंभीर बीमारी के मामले में लाइसेंसधारी मजदूर को 20,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (MJSA)

महत्वपूर्ण तथ्य:

- मुख्यमंत्री ने 27 जनवरी 2016 को झालावाड़ जिले में गांव गर्दनखेड़ी से अभियान शुरू किया था।
- वर्ष 2016 को # जलक्रांति वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत 2016 में 3000 प्राथमिकता वाले और 3 साल तक हर साल 6000 गांवों को लाभान्वित करके 2020 तक राज्य के लगभग 21 हजार गांवों को जल आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है।
- यह योजना चार-जल संकल्पना पर आधारित है, इस संकल्पना में प्रयुक्त जल संरक्षण की योजना में ग्रामीण इलाकों में उपलब्ध अपवहन का संचयन (वर्षा जल, भूजल, भूमिगत जल और मिट्टी में नमी) जलग्रहण, उचित उपयोग, नवीनीकरण और नए जल संचयन संरचनाओं का निर्माण शामिल है।

योजना के प्रमुख उद्देश्य:

- राजस्थान को जल स्थायी राज्य बनाने के लिए
- विभिन्न विभागों के संसाधनों के अभिसरण के माध्यम से प्रभावी जल संरक्षण सुनिश्चित करने व सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के लिए
- सामुदायिक भागीदारी व पानी बचट के माध्यम से एक गांव कार्य योजना तैयार करने, फसल पद्धति में बदलाव के लिए
- स्थायी उपायों के माध्यम से पीने के पानी के लिए गांव को एक आत्मनिर्भर इकाई बनाने, सिंचित और उपजाऊ क्षेत्रों में वृद्धि करके फसल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए
- जनता द्वारा योगदान: इस योजना में कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में किसी भी राशि का दान करके अपना योगदान दे सकता है। मुख्यमंत्री ने स्वयं 6 महीने के वेतन का योगदान दिया है।

- **जल-बजट:** पानी के बजट की अवधारणा ग्राम सभा में शुरू की गई, जहां पानी के उपयोग (पीने, सिंचाई, पशुधन और अन्य वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए) का निर्धारण और विभिन्न संसाधनों से उपलब्ध जल संरक्षण के लिए पानी का बजट तैयार किया जाता है कार्यों को पहचान कर स्वीकृत किया जाता है और उस अनुसार मिशन की कार्य योजना तैयार की जाती है।

चरण 1 :

- राज्य से 295 पंचायत समितियों के 3 हजार 52 9 गांवों का चयन किया गया
- अभियान के तहत, चयनित गांवों में, पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियों जैसे तालाबों, बावडियो, टांके आदि का निर्माण किया गया है और नई तकनीकों के साथ निक, टांके, लगाम आदि का निर्माण किया गया है।

चरण 2 :

- नवंबर, 2016 में शुरू किया गया।
- दूसरे चरण में 4200 गांव शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त, अभियान में 66 शहरों (प्रत्येक जिले के 2) को भी शामिल किया गया है।

चरण 3 :

- कैबिनेट ने MJSA की 11-चरण की समीक्षा की और क्रमशः 9 dec'17 व 20 jan' 18 की तीसरे चरण की रेगिस्तान और गैर-रेगिस्तानी जिलों की कार्य योजना बनाई।

ऊंट प्रजनन योजना

ऊंटों की निरंतर गिरती संख्या को रोकने के लिए और राज्य में ऊंट प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए 2 अक्टूबर, 2016 को ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है।

भामाशाह पशुधन बीमा पॉलिसी

भामाशाह पशुधन बीमा पॉलिसी की शुरुआत पशुओं की असामयिक मृत्यु से होने वाले नुकसान से किसानों और पशुधन मालिकों की रक्षा हेतु की

नोट - प्रिय पाठकों , यह एक sample मात्र है यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नहीं हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको RAS मुख्य परीक्षा के कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है/ RAS मुख्य परीक्षा के कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , धन्यवाद/

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्टूबरकी दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्टूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये

राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -



Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें।



अध्याय - 2

ग्रामीण विकास और ग्रामीण अवसरचना

ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं -

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद -राजीविका (RGAVP)

RGAVP एक स्वायत्त संस्था है जिसे अक्टूबर, 2010 में राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया गया था। यह समिति, समाज पंजीकरण अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत है और स्वयं सहायता समूह (SHG) आधारित संस्थागत वास्तुकला से जुड़े सभी ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अनिवार्य है।

वर्तमान में, RAJEEVIKA द्वारा निम्नलिखित आजीविका परियोजनाएं लागू की जा रही हैं:

- विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना (RRLP) जून, 2011 से 60 विभागों में कार्यान्वित की जा रही है।
- अप्रैल, 2013 से 9 विभागों में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (NRLP) लागू की जा रही है।
- भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) को अप्रैल, 2013 के बाद से चरणबद्ध तरीके से शेष विभागों में लागू किया जा रहा है।

राजस्थान में क्षेत्रीय विकास योजनाएं -

मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान

यह परियोजना वर्ष 2016-17 में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली और जालौर जिलों में प्रत्येक में एक ब्लॉक में कार्यान्वित की जा रही है सिरोही(पिंडवाड़ा) और जोधपुर(बालेसर) के दो नए ब्लॉकों को योजना में सम्मिलित किया गया है। इसके तहत, क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह(SHG) का गठन किया गया है तथा इन्हे विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंक साख सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम

मेव के निवास क्षेत्र को मेवात क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मेव समुदाय अलवर और भरतपुर जिले के 12 ब्लॉक में केंद्रित है। मेव अभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और इसलिए, राजस्थान सरकार मेवाट क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए 1987-88 से एक विशेष विकास कार्यक्रम चला रही है।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP)

केंद्रीय प्रवर्तित योजना (CSS) के रूप में 7 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) पेश किया गया था। BADP केंद्रीय सरकार की नीतिगत पहल है। जिसके अनुसार सीमावर्ती जिलों का संतुलित विकास किया जाना है।

यह कार्यक्रम राज्य के 4 सीमावर्ती जिलो बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर के 16 ब्लॉकों, में लागू किया जा रहा है। BADP के तहत, व्यादातर फंड सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों के लिए निवेश किया जाता है। साथ ही सीमावर्ती जिलों में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के विकास की गतिविधियों को पर्याप्त महत्व दिया गया है।

डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम

राजस्थान सरकार द्वारा 2004-05 में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पुनः लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम में 8 जिलों (सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां, झुलावाड़ , भरतपुर, कोटा और बूंदी) की 26 पंचायत समितियों की 394 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान का दक्षिणी मध्यवर्ती हिस्सा विशेष रूप से अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद की पहाड़ियों से घिरा हुआ है यह हिस्सा जनजातीय क्षेत्र विकास (TAD) के तहत कवर नहीं किया जाता तथा स्थानीय रूप से "मगरा" नाम से जाना जाता है।

निवासियों के सामाजिक और आर्थिक स्तर में सुधार करने के लिए, 5 जिलों के 14 ब्लॉकों में 2005-06 से "मगरा क्षेत्र विकास अभियान" शुरू किया गया था। वर्तमान में यह उपरोक्त जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। क्षेत्र के विकास के लिए जल विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, पेयजल, शिक्षा, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण की गतिविधियां संचालित की गई हैं।

गुरु गोळवलकर जनभागीदारी विकास योजना (GGJVY)

राज्य के सभी 33 जिलों में गुरु गोळवलकर ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना 30.09.2014 को शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में विकास, रोजगार सृजन, निर्माण और सामुदायिक संपत्ति के रखरखाव के लिए सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह योजना राज्य द्वारा वित्त पोषित है और राज्य के ग्रामीण इलाकों में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत "शामशान/ कब्रिस्तान" की सीमा-दीवारों के निर्माण के लिए 90 प्रतिशत धन उपलब्ध कराई जाएगी। अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए, 70 प्रतिशत धनराशि और जनजातीय उप योजना (TSP) क्षेत्रों में 80 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

विधान सभा के सदस्यों द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLALAD)

इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक उपयोगिता की मूलभूत संरचना बनाने और विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए स्थानीय जरूरत आधारित आधारभूत संरचना का विकास करना है। यह योजना राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। प्रत्येक विधायक को अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष 2.25 करोड़ तक के कार्यों की सिफारिश करने के लिए अधिकृत किया गया है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के विकास के लिए सालाना कुल आवंटित राशि का कम से कम 20 प्रतिशत अनुशंसित होना चाहिए। मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना (MJSY) के तहत कुल आबंटन का 25 प्रतिशत या कुल कार्यों का 25 प्रतिशत आरक्षित होना चाहिए।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर कार्यक्रम -

पंचायत स्तर पर ग्रामीण लोगों की शिकायतों का निपटान करने व ग्रामीण लोगों की भलाई के लिए पंचायत शिविरों का आयोजन किया जाता है। "पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविरों" 14 अक्टूबर, 2016 से शुरू हुए हैं।

मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना (MAGPY)

इस योजना में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, आजीविका आदि जैसे कई क्षेत्रों में चयनित गांवों के एकीकृत विकास की परिकल्पना की गई है। बुनियादी ढांचे के विकास के अतिरिक्त MAGPY गांवों और वहां के लोगों को दूसरों के लिए आदर्श बनाने के लिए उनमें लोगों की भागीदारी, लिंग समानता, महिला गरिमा, सामाजिक न्याय, सामुदायिक सेवा, स्वच्छता, स्थानीय स्वराज्य, पारदर्शिता और सार्वजनिक जीवन जैसे मूल्यों को पैदा करने का लक्ष्य है।

ग्राम पंचायत विकास की मूल इकाई है, विधान सभा के सदस्य (विधायक) इस योजना के प्रमुख अंग हैं।

ग्रामीण सड़कें:

राजस्थान राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए, दो योजनाओं को लागू किया जा रहा है, राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण गौरव पथ (GGP) और केन्द्र प्रायोजित प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY)।

ग्रामीण गौरव पथ योजना (GGP)

ग्रामीण गॉश्व पथ परियोजना राजस्थान सरकार की एक प्रमुख सड़क निर्माण परियोजना है, राज्य की योजना के तहत 33 जिलों में लगभग 2,048 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण करने की योजना

नोट - प्रिय पाठकों , यह एक sample मात्र है यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नहीं हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको RAS मुख्य परीक्षा के कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है/ RAS मुख्य परीक्षा के कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , धन्यवाद/

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्टूबरकी दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्टूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये

राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें /

whatsapp- <https://wa.link/g840vp> 63website-<https://bit.ly/ras-mains-notes>

अध्याय - 7

बुनियादी सामाजिक सेवाएं - शिक्षा व स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी और सतत् विकास लक्ष्य

राजस्थान में शिक्षा व स्वास्थ्य -

राजस्थान में शिक्षा का प्रचलन मध्यकाल से हुआ। राज्य में शिक्षण संस्थानों की स्थापना राजा-महाराजाओं एवं उच्च समुदायों द्वारा की गई जिनमें जनसामान्य की भागीदारी बहुत कम रही। राजस्थान में प्राचीन समय से युद्धों की परम्परा चली आ रही है और यहाँ के राजा-महाराजाओं का अधिकांश समय युद्धों में व्यतीत होने के कारण वे शिक्षा के विकास पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते थे। इसलिए यहाँ शिक्षा का विकास स्तर निम्न रहा। 19वीं सदी में राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा पर आधारित शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाने लगी। 1846-47 में जयपुर के महाराजा रामसिंह ने अजमेर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई। 1876 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की जिसका उद्देश्य यहाँ के उच्चवर्ग अर्थात् शासकों, सामंतों एवं जागीरदारों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना था। 1948 में बालिका शिक्षा को बढ़ाने एवं बालिकाओं को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जयपुर की महारानी गायत्री देवी द्वारा जयपुर में महारानी गायत्री देवी बालिका विद्यालय (MGD) की स्थापना की गई। यह स्कूल भारत में छात्राओं का प्रथम पब्लिक स्कूल है। तत्पश्चात् 1947 में जयपुर में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज एवं राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जो कालांतर में राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है।

राजस्थान में शिक्षा के विकास हेतु किये जाने वाले इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में शिक्षा एवं साक्षरता का स्तर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राज्य की साक्षरता दर मात्र 8.5 प्रतिशत थी जो वर्तमान में 67.06 प्रतिशत हो गई है, एकीकरण के समय स्त्री व पुरुष

साक्षरता दर क्रमशः 2.66 प्रतिशत व 13.86 प्रतिशत थी जो वर्तमान में क्रमशः 52.01 प्रतिशत व 79.02 प्रतिशत है। 1951 की तुलना में 2011 तक राज्य की साक्षरता दर में 8 गुने से भी अधिक वृद्धि हुई है जो शिक्षा के हेतु किये गये अथक प्रयासों का ही परिणाम है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-38 द्वारा प्रयुक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 बनाया गया है।

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्-1 अप्रैल, 2018 से भारत सरकार ने फ्लैगशिप कार्यक्रम 'समग्र शिक्षा अभियान' (समसा) प्रारम्भ किया है। इसके अंतर्गत राज्य में राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद् एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् दोनों पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का गठन वर्ष 2018-19 में किया गया। यह परिषद् राज्य में समा शिक्षा अभियान की एकल राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति (SIS) है। इसकी शासी परिषद् के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री तथा उपाध्यक्ष- 1. शिक्षामंत्री एवं 2. मुख्य सचिव, राजस्थान होंगे। इस परिषद् का नियंत्रण आयुक्त में निहित है, जिसके अधीन राज्य परियोजना निदेशक एवं अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (2) एवं उनके नीचे कई अधिकारी कर्मचारी हैं। जिला स्तर पर इस परियोजना के प्रभारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (CDEO) है। ब्लॉक स्तर पर इस परिषद् का प्रभारी अधिकारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) होगा।

- राज्य की पहली रियासत अलवर थी जहाँ महाराजा बभ्नेसिंह ने अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय की 1842 में स्थापना की, जिसे देखकर भरतपुर रियासत के शासक किशन सिंह ने 1842 में व जयपुर के शासक रामसिंह ने 1844 में अपनी-अपनी रियासतों में अंग्रेजी विद्यालय खोले।
- राज्य में अनौपचारिक शिक्षा की शुरुआत 1875 में की गई।
- राज्य में राजा महाराजाओं को शिक्षा देने के लिए 1875-76 में अजमेर में मेयो कॉलेज बनाया गया। जिसमें प्रवेश लेने वाला प्रथम शासक अलवर के महाराजा मंगलसिंह थे, तो

राज्य में जागीरदारों के बच्चों को शिक्षा देने हेतु राज्य का पहला नॉबल स्कूल जयपुर (1861) में खोला गया।

- राज्य में वर्ष 2001-02 को पुस्तक वर्ष घोषित करते हुए 'सबके लिए पुस्तकें और सब पुस्तकों के लिए' का नारा दिया।
- सिद्धार्थ सूरी के ग्रन्थ 'उपमिति वंश प्रपंच कथा' में सर्वप्रथम राज्य में शिक्षा के विकास की जानकारी मिलती है।
- राजस्थान देश का एक मात्र ऐसा राज्य है जहाँ संस्कृत शिक्षा हेतु पृथक् निदेशालय है।
- राजस्थान में धौलपुर एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ बच्चों के स्कूल में ठहराव को सुनिश्चित करने हेतु बाल मंगल कार्ड जारी किये गये हैं।
- राजस्थान का एक मात्र अल्प संख्यक बी.एड. कॉलेज डॉ. जाकिर हुसैन शिक्षण महाविद्यालय, झालावाड़ में है।
- प्राचीन काल में स्थित मौखिक विद्यालयों को जयपुर / डूंडाड़ क्षेत्र में चटशाला कहते थे तो इन्हीं विद्यालयों को पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों में पोशवाल / पोशाल कहते थे।
- 1818 में राज्य का पहला शिक्षा अधीक्षक डॉ. जेविश कैरी को बनाया गया जिसने 1819 में अजमेर में अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना की तो राज्य का आधुनिक शिक्षा का वास्तविक जनक शिक्षा अधीक्षक मार्कस हरे को कहा जाता है।

(A) प्रारम्भिक शिक्षा (Elementary Education)

राज्य में शिक्षा के विकास हेतु किये जाने वाले व्यय का लगभग 60 प्रतिशत प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय किया जाता है और इसका उद्देश्य राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा का विकास करना होता है। प्रारम्भिक शिक्षा के विकास हेतु राज्य में विद्यालयों में नामांकन वृद्धि एवं ठहराव को सुनिश्चित करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं। प्रारम्भिक शिक्षा के विकास के लिए सरकार ने, सबके लिए प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा, प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक विद्यालयों में ठहराव एवं न्यूनतम अधिगम स्तर के साथ शिक्षा के गुणात्मक स्तर पर बल आदि उद्देश्यों का निर्धारण किया है।

प्रारम्भिक शिक्षा के विकास हेतु योजनाएँ/कार्यक्रम

राज्य में सभी को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने एवं प्रारम्भिक शिक्षा की ओर लोगों का रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम चालू किये हैं जो इस प्रकार से हैं -

सर्वशिक्षा अभियान - 1998 में हुये राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिश के आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण के उद्देश्य से नवम्बर, 2000 में सर्वशिक्षा अभियान को मान्यता दी गई। प्राथमिक शिक्षा के सुदृढीकरण व सम्पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से भारत सरकार एवं राज्य सरकार की क्रमशः 80:15 की भागीदारी से 2001-02 में राज्य में सर्वशिक्षा अभियान प्रारम्भ कर दिया गया। वर्तमान में इस योजना में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की भागीदारी क्रमशः 65:35 के अनुपात में है। राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद् को सर्वशिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। सरकार द्वारा संचालित इस अभियान का उद्देश्य

नोट - प्रिय पाठकों, यह एक sample मात्र है यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नहीं हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको RAS मुख्य परीक्षा के कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है। RAS मुख्य परीक्षा के कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें, धन्यवाद।

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

whatsapp- <https://wa.link/g840vp> 67website-<https://bit.ly/ras-mains-notes>

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये
पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्टूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये
पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये
पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्टूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये
राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें /



समाजशास्त्र

अध्याय - 3

भारतीय समाज समक्ष चुनौतियाँ: दहेज, तलाक एवं बाल विवाह के मुद्दे, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, निर्धनता, बेशोजगारी, मादक व्यसन, कमजोर तबके विशेषकर दलित, वृद्ध और दिव्यांग

200 वर्षों की गुलामी के बाद ब्रिटिश राज से 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त को हुई। एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत का उदय, भारत के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। आजादी के समय भारत को कई सम-विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों के बीच नए राष्ट्र के रूप में भारत के समक्ष कुछ चुनौतियाँ खड़ी हुई। जब तक इन सभी का निवारण नहीं हो जाता तब तक भारत सम्पूर्ण विकास नहीं कर सकता है और न ही शुद्ध रूप से लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है।

दहेज प्रथा -

मानव समाज एवं सभ्यता के समक्ष कई सारी चुनौतियाँ मुँह बाए खड़ी हैं, परंतु इनमें से एक चुनौती ऐसी है, जिसका कोई भी तोड़ अभी तक समर्थ होता नहीं दिख रहा है। कहना नहीं होगा कि विवाह संस्कार से जुड़ी हुई यह सामाजिक विकृति दहेज प्रथा ही है। दहेज कुप्रथा भारतीय समाज के लिए एक भयंकर अभिशाप की तरह है। 'दहेज' शब्द अरबी भाषा के 'दहेज' शब्द से रूपान्तरित होकर उर्दू और हिन्दी में आया है जिसका अर्थ होता है "सौगात" इस भेंट या सौगात की परम्परा भारत में कब से प्रचलित हुई, यह विकासवार की खोज के साथ जुड़ा हुआ तथ्य है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, अग्निकुंड के समक्ष शास्त्रज्ञ विद्वान विवाह सम्पन्न कराता था तथा कन्या का हाथ वर के हाथ में देता था। कन्या के

माता-पिता अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुरूप कन्या के प्रति अपने स्नेह और वात्सल्य के प्रतीक के रूप में कुछ उपहार भेंट स्वरूप दिया करते थे। इसके लिए 'वस्त्रभूषणालंकृताम्' शब्द का प्रयोग सार्थक रूप में प्रचलित था। इस प्रथा के पीछे लाभ की दुष्प्रवृत्ति छिपी हुई है। आज दहेज प्रथा भारत के सभी क्षेत्रों और वर्गों में व्याप्त है। इस कुप्रथा के चलते कितने लड़की वाले बेघर एवं बर्बाद हो रहे हैं। कितनी वधूएँ के दहेज की खातिर जीवित जला कर मारी जा रही हैं। इस कुप्रथा ने लड़कियों के पिता का जीवन दूभर कर दिया है। इतिहास के पन्नों पर नजर डाले तो यह प्रमाणित होता है कि दहेज का जो रूप आज हम देखते हैं कि ऐसा पहले नहीं था। उत्तरवैदिक काल में प्रारंभ हुई यह परंपरा आज अपने घृणित रूप में हमारे सामने खड़ी है। दहेज प्रथा के औचित्य और उद्देश्य में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्हें निम्नलिखित कालांतरों के माध्यम से बेहतर समझा जा सकता है।

(1) उत्तर वैदिक काल - ऋग्वेदिक काल में दहेज प्रथा का कोई औचित्य नहीं था। अथर्ववेद के अनुसार उत्तरवैदिक काल वस्तु के रूप में इस प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ उस समय पिता को जो देना सही लगता था वह अपनी इच्छा से दे देता था जिसे वर पक्ष सहर्ष स्वीकार कर लेता था। इसमें न्यूनतम या अधिकतम जैसी कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। उस काल में लिखे गए धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में कहीं भी दहेज से संबंधित कोई भी प्रसंग उल्लिखित किया गया है।

(2) मध्य काल - मध्य काल में इस वस्तु को स्त्रीधन के पीछे नाम से पहचान मिलने लगी। इसका स्वरूप वस्तु के ही समान था। इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि जो उपहार वो अपनी बेटी को दे रहा है वह किसी परेशानी में या फिर किसी बुरे समय में उसके और उसके मसुराल के काम आएगा। लेकिन स्त्रीधन का स्वरूप पहले की अपेक्षा थोड़ा विस्तृत हो गया था। अब बिदाई के समय धन को भी महत्व दिया जाने लगा था। इसके पीछे उनका मंतव्य ज्यादा से ज्यादा धन व्यय कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना था। यही से इस की प्रथा की शुरुआत हुई जिसमें स्त्रीधन शब्द पूरी तरह गाँव हो गया और दहेज शब्द की उत्पत्ति हुई।

(3) आधुनिक काल - वर्तमान समय में दहेज व्यवस्था एक ऐसी प्रथा का रूप ग्रहण कर चुकी है जिसके अंतर्गत युवती के माता-पिता और परिवार वालों का सम्मान दहेज में दिए गए, धन-दौलत पर ही निर्भर करता है। वर-पक्ष भी सरेआम अपने बेटे का सौदा करता है। इस व्यवस्था ने समाज के सभी वर्गों को अपनी चपेट में ले लिया है। लोगों की मानसिकता यह बन गई थी कि धन और उपहारों के साथ बेटी को विदा करेंगे तो यह उनके मान-सम्मान को बढ़ाने के साथ-साथ बेटी को भी खुशहाल जीवन देगा।

'दहेज प्रथा कानून' - बहेलप्रथा को समाप्त करने के लिए अब तक कितने ही नियमों और कानूनों को लागू किया गया है, जिनमें से कोई भी कारगर सिद्ध नहीं हो पाया। 1961 में सबसे पहले दहेज निरोधक कानून अस्तित्व में आया। जिसके अनुसार दहेज देना और लेना दोनों ही गैर कानूनी घोषित किए। 1985 में दहेज निषेध नियमों को तैयार किया गया था। इन नियमों के अनुसार शादी के समय दिए गए उपहारों की एक हस्ताक्षरित सूची बनाकर रखा जाना चाहिए। दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा सम्पत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है, के अंतर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है, धारा 406 के अंतर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनों, यदि वे लड़की के स्त्रीधन को उसे सौंपने से मना करते हैं। यदि किसी लड़की की विवाह के 3 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है, और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के अन्तर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

कई कारणों से पीड़ित परिवार दहेज संबंधी शिकायत कराने से हिचकते हैं, जिसके चलते इसमें महिला अधिकारों से जुड़ी गैर सरकारी संस्थाओं (NGO) को भी केस दर्ज करवाने का अधिकार है। वही, जिला अधिकारी ऐसे मामलों में खुद भी संज्ञान ले सकते हैं।

कानून तहत ये हैं कानून - (1) दहेज लेना (2) दहेज देना (3) दहेज लेने और देने के लिए उकसाना। (4) वधू पक्ष से सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर दहेज की मांग करना (5) विज्ञापन के माध्यम से दहेज मांग की करना ।

सेक्शन 498-A. - शादी के बाद महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा में दहेज एक प्रमुख कारण है। धारा 498 - A को 1983 में विवाहित महिलाओं को पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली क्रूरता से बचाने का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की में धारा महिलाओं को दहेज उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करती है और इसमें आरोपियों के लिए तुरंत गिरफ्तारी साबित होने पर कड़ी सजा का प्रावधान है।

कहाँ करें शिकायत - यदि आप या आपका कोई रिश्तेदार दहेज संबंधी उत्पीड़न का सामना कर रहा है तो आप इन कानूनों के अंतर्गत शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

- (1) नजदीकी पुलिस स्टेशन या महिला थाना में जाकर या फोन के माध्यम से
- (2) 181 महिला हेल्पलाइन पर ।
- (3) वन स्टॉप सेंटर पर जाकर ।
- (4) कोर्ट में केस दर्ज करवा कर ।

➤ दहेज के कारण

- (1) जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र - जब कन्या का विवाह अपने ही वर्ण, जाति या उपजाति में करना होता है तो विवाह का दायरा बहुत सीमित हो जाता है। योग्य वर के लिए दहेज देना आवश्यक हो जाता है।
- (2) बाल-विवाह - बाल-विवाह के कारण वर एवं वधू का चुनाव उनके माता- पिता द्वारा किया जाता है और वे अपने लाभ के लिए दहेज की माँग करते हैं।
- (3) विवाह की अनिवार्यता - हिन्दुओं में कन्या का विवाह अनिवार्य माना गया है। इसका लाभ उठाकर वर-पक्ष के लोग अधिकाधिक दहेज की मांग करते हैं।

- (4) कुलीन विवाह - कुलीन विवाह के कारण ऊँचे कुलों के लड़कों की माँग बढ़ जाती है और उन्हें प्राप्त करने के लिए कन्या पक्ष को दहेज को देना होता है।
- (5) शिक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा - वर्तमान समय में शिक्षा एवं व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का अधिक महत्व होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह शिक्षित एवं प्रतिष्ठित लड़के के साथ करना चाहता है जिसके लिए उसे काफी दहेज देना होता है।
- (6) धन का महत्व - जिस व्यक्ति को अधिक दहेज प्राप्त होता है, उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है।
- (7) महंगी शिक्षा - वर्तमान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए काफी धन खर्च करना पड़ता है। जिसे जुटाने के लिए वर पक्ष के लोग दहेज की माँग करते हैं। शिक्षा के लिए लिये गए ऋण का भुगतान भी कई बार दहेज द्वारा किया जाता है।
- (8) दुष्चक्र - दहेज एक दुष्चक्र है जिन लोगों ने अपनी लड़कियों के लिए दहेज दिया है वे भी अवसर आने पर अपने लड़के के लिए दहेज प्राप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार लड़के के लिए दहेज प्राप्त करके वे अपनी लड़कियों के विवाह के लिए उसे सुरक्षित चाहते हैं।

(9) दहेज - प्रथा के दुष्परिणाम -

- (1) बालिका वधू - दहेज की अधिक माँग होने के कारण कई व्यक्ति कन्या को पैदा होते ही मार डालते हैं।
- (2) कम दहेज देने पर कन्या को सुसुराल में अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। दोनों परिवार में तनाव एवं संघर्ष पैदा होते हैं। और पति-पत्नी का सुखी वैवाहिक जीवन में तनाव में आता है।
- (3) जिन लड़कियों को अधिक दहेज नहीं दिया जाता है। उनको कई प्रकार से तंग किया जाता है। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए लड़कियाँ आत्महत्या तक कर लेती हैं। कई बार कम दहेज के कारण लड़कियों की हत्या तक हो जाती है या फिर उन्हें जलाकर मार दिया जाता है।

- (4) दहेज देने के लिए कन्या के पिता को रुपया उधार लेना पड़ता है या अपनी जमीन, जेवरात मकान आदि को गिरवी रखना पड़ता है या बेचना पड़ता है। अधिक कन्याएँ होने पर तो आर्थिक दशा और ज्यादा बिगड़ती हैं।
- (5) बेमेल विवाह जैसे दुष्परिणाम सामने आते हैं। दहेज के अभाव में कन्या का विवाह अशिक्षित, वृद्ध, कुरूप, अपंग एवं अयोग्य व्यक्ति के साथ भी करना पड़ता है।
- (6) दहेज के अभाव में कई लोग अपने वैवाहिक संबंध कन्या पक्ष से समाप्त कर देते हैं। कई बार तो दहेज के अभाव में तोरण द्वार से बारात वापस लौट जाती है।
- (7) दहेज जुटाने के लिए कई अपराध भी किए जाते हैं, रिश्वत, चोरी एवं गबन द्वारा धन एकत्र किया जाता है। भ्रष्टाचार में भी वृद्धि होती है।
- (8) दहेज एकत्रित करने एवं योग्य वर की तलाश में माता- पिता चिन्तित रहते हैं। चिन्ता के कारण कई मानसिक बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं।
- (9) दहेज के कारण स्त्रियों की सामाजिक स्थिति गिर जाती है। उनका जन्म अपशकुन माना जाता है और उन्हें भावी विपत्ति का सूचक समझा जाता है।

दहेज-प्रथा को समाप्त करने हेतु सुझाव-

- (1) स्त्री शिक्षा - स्त्री शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाय ताकि वे पढ़-लिखकर स्वयं कमाने लगे। ऐसा होने पर उनकी पुरुषों पर आर्थिक - निर्भरता समाप्त होगी।
- (2) जीवन-साथी के चुनाव की स्वतंत्रता - लड़के व लड़कियों को अपना जीवन-साथी स्वयं चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त होने

नोट - प्रिय पाठकों , यह एक sample मात्र है यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नहीं हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको RAS मुख्य परीक्षा के

कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है/ **RAS मुख्य परीक्षा** के कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , धन्यवाद!

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्तूबरकी दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्तूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये

राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें /

प्रबंधन

अध्याय - 1

विपणन की आधुनिक अवधारणा, विपणन मिश्रण - उत्पाद, मूल्य, स्थान और संवर्धन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, प्रचालन तंत्र, ई - विपणन, व्यवसाय तथा निगम आचारनीति

विपणन का अर्थ

वर्तमान वाणिज्यिक तथा औद्योगिक युग में विपणन कोई नया शब्द नहीं है। विभिन्न व्यक्ति विपणन शब्द को विभिन्न अर्थों में प्रयोग करते हैं। कुछ व्यक्तियों के लिये विपणन का अर्थ केवल वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय से है जबकि कुछ अन्य व्यक्ति इसमें और भी अनेक क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं, जैसे—विक्रय उपरान्त सेवा, वितरण तथा विज्ञापन आदि। वास्तव में विपणन क्रय, विक्रय, उत्पाद नियोजन, विज्ञापन आदि तक सीमित न रहकर एक विस्तृत अर्थीय शब्द है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से पूर्व की जाने वाली क्रियाओं से लेकर इनके वितरण एवं आवश्यक विक्रयोपरान्त सेवाओं तक को शामिल किया जाता है। इस प्रकार विपणन का कोई सर्वमान्य अर्थ या परिभाषा नहीं है। अध्ययन की सुविधा के लिए विपणन के अर्थ की व्याख्या करने वाली विचारधाराओं को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है-

विपणन की प्रमुख अवधारणाएं निम्न हैं-

1. पुरानी या संकीर्ण विचारधारा
- II. नयी या आधुनिक विचारधारा।

1. पुरानी, संकीर्ण या उत्पाद अभिमुखी विचारधारा

Old, Narrow or Product-oriented Concept

यह विपणन की अत्यन्त प्राचीन अथवा संकीर्ण विचारधारा है, जिसमें विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये क्रय एवं इन वस्तुओं को ग्राहकों तक पहुँचाने के लिये विक्रय आदि क्रियाओं को विपणन में सम्मिलित किया जाता है। इसके अनुसार किसी भी व्यवसाय का मूलभूत उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है। विपणन का मूलभूत कार्य वस्तुओं का उत्पादक अथवा निर्माता से उपभोक्ताओं तक पहुँचाना है। बीसवीं शताब्दी के पाँचवे दशक के आसपास तक व्यावसायियों/ प्रबन्धकों/अर्थशास्त्रियों ने विपणन की इसी प्रकार की परिभाषाएँ दी हैं। विपणन की सूक्ष्म अथवा संकीर्ण अर्थ वाली प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं-

(1) प्रो० पाइले के अनुसार, “विपणन में क्रय और विक्रय दोनों ही क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं।”

(2) क्लार्क एवं क्लार्क के अनुसार, “विपणन में वे सभी प्रयत्न सम्मिलित हैं जो वस्तुओं एवं सेवाओं के स्वामित्व हस्तान्तरण एवं उनके (वस्तुओं एवं सेवाओं के) भौतिक वितरण में सहायता प्रदान करते हैं।”

(3) कन्वर्स, ह्यूजी एवं मिचेल के अनुसार, “विपणन में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से उपभोग तक के प्रवाह की क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं।”

(4) अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार, “विपणन से तात्पर्य उन व्यावसायिक क्रियाओं के निष्पादन से है जो उत्पादक या उपभोक्ता या प्रयोगकर्ता तक वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को नियन्त्रित करत है,

विपणन की परम्परागत विचारधारा की प्रमुख विशेषताओं को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है-

1. परम्परागत विचारधारा के अनुसार संस्था का समस्त ध्यान उत्पादन पर होता है।
2. परम्परागत विचारधारा का लक्ष्य अधिकतम विक्रय द्वारा अधिकतम लाभ कमाना है।
3. इस विचारधारा में उपभोक्ता की संतुष्टि एवं कल्याण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।
4. इसमें वस्तु के उत्पादन के पूर्व एवं वस्तु के विक्रय के बाद की क्रियाओं को शामिल नहीं किया जाता है।

5. यह विचारधारा इस दर्शन पर आधारित है कि उत्पादक या विक्रेता यह भली-भाँति जानता है कि उपभोक्ता के लिये क्या अच्छा है और उसे किस वस्तु की आवश्यकता है।

6. परम्परागत विचारधारा के अन्तर्गत कम्पनी के विभिन्न विभागों में पारस्परिक सम्बन्ध नहीं होते हैं।

11. नयी, विस्तृत, आधुनिक या ग्राहक-अभिमुखी विचारधारा

(New, Modern or Customer-oriented Concept)

आधुनिक विचारधारा वस्तु के स्थान पर ग्राहकों को अधिक महत्व देती है, इसलिये इसे ग्राहक-अभिमुखी विचारधारा कहते हैं। इस विचारधारा के अनुसार ऐसी वस्तुओं का ही निर्माण किया जाता है जो कि अधिकांश ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं, अभिरुचियों आदि के अनुरूप हों। इसके पश्चात वस्तुओं का विक्रय भी ग्राहक की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाता है और यदि आवश्यकता हो तो विक्रयोपरान्त सेवा (After Sales Service) की व्यवस्था भी की जाती है।

इस विचारधारा के अनुसार विपणन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है-

- (1) पॉल मजूर के अनुसार-“विपणन का अर्थ समाज को जीवन स्तर प्रदान करना है।”
- (2) विलियम जे० स्टेण्टन के अनुसार, “विपणन का अर्थ उन पारस्परिक व्यावसायिक क्रियाओं की सम्पूर्ण प्रणाली से है जो कि वर्तन व सम्भावित ग्राहकों को उनकी आवश्यकता संतुष्टि की वस्तुओं और सेवाओं के बारे में योजना बनाने, मूल्य निर्धारित करने, संवर्धन करने और वितरण के लिये की जाती हैं।”
- (3) प्रो० एच० एल० हेन्सन के अनुसार, “विपणन उपभोक्ताओं की इच्छा को ज्ञात करने, उन्हें विशिष्ट वस्तुओं एवं उत्पादों में परिवर्तित करने और तदुपरान्त उन वस्तुओं एवं सेवाओं के जरिए अधिकाधिक उपभोक्ताओं के उपयोग को सम्भव बनाने की प्रक्रिया है।”

विपणन की आधुनिक विचारधारा की विशेषताओं को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है-

1. इस विचारधारा में उपभोक्ता की सन्तुष्टि पर विशेष ध्यान दिया जाता है अर्थात् उपभोक्ता को सर्वोत्तम माना जाता है।

2. इस विचारधारा के अन्तर्गत प्रबन्धकों को यह आभास होता है कि ग्राहक की आवश्यकताएँ महत्वपूर्ण हैं न कि उत्पादन।
3. आधुनिक विचारधारा के अनुसार समाज के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने का दायित्व विपणन का है।
4. इस विचारधारा के अन्तर्गत विपणन के द्वारा नये-नये उत्पादन आरम्भ करने का अवसर प्राप्त होता है।
5. इस विचारधारा के अनुसार उत्पत्ति के सभी साधनों का प्रभावी उपयोग सम्भव होता है।

विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में विपणन का महत्व

(Importance of Marketing in the Emerging Economy of India)

- (1) प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग-आधुनिक सुदृढ़ विपणन व्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों का देश के हित में विदोहन तथा अधिकतम उपयोग करने में सक्रिय सहयोग प्रदान करती है जिसकी कि विकासशील देशों में अत्यन्त आवश्यकता होती है।
- (2) अर्थव्यवस्था को मन्दी से बचाना-आधुनिक विपणन अवधारणा विकासशील देश की अर्थव्यवस्था को मन्दी से बचाने में सक्रिय योगदान प्रदान करती है। यदि विपणन न हो तो विक्रय कम मात्रा में होगा जिसके कारण सारा देश मन्दी के चंगुल में फँस जायेगा।
- (3) रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठाना-आधुनिक विपणन अवधारणा जन-साधारण को उपभोग के लिए बड़े पैमाने पर नई-नई वस्तुओं की जानकारी देकर एवं उपलब्ध कराकर रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने में सक्रिय सहयोग प्रदान करती है।
- (4) राष्ट्रीय आय में वृद्धि-जब आधुनिक विपणन सुविधाओं के कारण विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की आवश्यकतानुसार वस्तुओं का उत्पादन एवं निर्माण किया जाता है तो देश की कुल वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि होती है जिसके परिणामस्वरूप देश की कुल राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि होती है।

(5) रोजगार की सुविधा-आधुनिक विपणन अवधारणा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके बेरोजगारी एवं अर्द्ध-बेरोजगारी के उन्मूलन में सक्रिय सहयोग प्रदान करती है। आज विपणन क्षेत्र भारत में रोजगार प्रदान करने का प्रमुख स्रोत माना जाता है।

(6) औद्योगीकरण को प्रोत्साहन-आज जिन देशों में आधुनिक विपणन व्यवस्था है, वे देश औद्योगिक क्षेत्र में शिखर पर हैं। इस प्रकार विपणन व्यवस्था अच्छी होने से औद्योगीकरण को प्रोत्साहन मिलता है जिसकी भारत जैसे विकासशील देशों को अत्यन्त आवश्यकता है।

(7) नियति में वृद्धि-आधुनिक सुदृढ़ विपणन, व्यवस्था के कारण जो देश औद्योगीकरण के शिखर पर हैं, वे निर्यात अधिक करते हैं और आयात क भारत जैसे विकासशील देश को आज निर्यात में वृद्धि की सबसे अधिक आवश्यकता है और इसी कारण विकासशील देशों (भारत सहित) में आधुनिक विपणन का महत्व है।

(8) बाजार के विकास में सहायक-विपणन का स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय तीन स्तरों पर महत्व है। आधुनिक सुदृढ़ विपणन व्यवस्था स्थानीय बाजार को राष्ट्रीय बाजार तथा राष्ट्रीय बाजार को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का रूप प्रदान करती है।

(9) वस्तुओं के मूल्यों में कमी-एक सुव्यवस्थित एवं प्रभावी आधुनिक विपणन व्यवस्था के होने से जहाँ एक ओर अधिक माँग होने पर उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत कम हो जाती है और दूसरी ओर वितरण लागतों में और वस्तुओं के मूल्यों में पर्याप्त कमी आती है। फलतः उपभोक्ता अधिक मात्रा में वस्तुओं का उपभोग करना प्रारम्भ कर देते हैं।

Other concept -

- **उत्पादन अवधारणा (Production concept):** एक संगठन अपने उत्पादों को एक बाजार में डंप करेगा, कम कीमतों और उच्च मात्रा के साथ हमला करेगा। चीन आक्रामक रूप से इसका अनुसरण कर रहा है।

- **उत्पाद अवधारणा (Product concept):** अपने मौजूदा उत्पाद का विकास करें। Apple उत्पाद अवधारणा का पालन कर रहा था। वे अपने उत्पाद को बढ़ावा नहीं दे रहे थे, सीधे आईव्यून्स, आईपॉड, आदि जैसे उत्पादों को पेश कर रहे थे।
- **बिक्री की अवधारणा (Sales concept):** हमने जो भी उत्पादन किया है उसे बेचें। यह उनकी रणनीति को बढ़ावा देने का एक तत्व जोड़ता है।
- **बाजार अवधारणा (Marketing concept):** बाजारों पर शोध करें, रुझानों और उपभोक्ता वरीयताओं की पहचान करें और उनके अनुसार उत्पाद विकसित करें। यह बाजार में एक फर्म को बनाए रखने में मदद करेगा। हालांकि, उत्पादन, उत्पाद और बिक्री अवधारणा के बाद विपणन अवधारणा विकसित हुई है; लेकिन समकालीन दुनिया में, संगठन इनमें से किसी भी झुकाव को अपनाते हैं।
- **सामाजिक अवधारणा (Social concept):** आप अपने उत्पाद के सामाजिक प्रभाव पर विचार करते हैं और अपने उत्पाद के विपणन के माध्यम से सामाजिक मुद्दों के बारे में समाज को जागरूक करते हैं।
- **रीति रिवाज अवधारणा (Societal concept):** एक अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण जो एक नैतिक, नैतिक और टिकाऊ तरीके से बढ़ावा देता है और एक उत्पाद कैसे मदद करेगा।

कण्डिफ एवं स्टिल के अनुसार विपणन के अन्तर्गत निम्नलिखित क्रियाएँ सम्मिलित की जाती हैं-

विपणन कार्य

विपणन कार्य

(I) वाणिज्ययन कार्य-	(II) भौतिक वितरण कार्य-	(III) सहायक कार्य-
----------------------	-------------------------	--------------------

1: उत्पाद नियोजन एवं विकास	1. भण्डारण	1. विपणन वित्त व्यवस्था
2. प्रमापीकरण एवं श्रेणीयन	2. परिवहन	2. जोखिम वहन करना
3. क्रय		3. बाजार सूचना
4. विक्रयण		

विपणन की भूमिका अथवा महत्त्व -

(Role or Importance of Marketing)

आधुनिक अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता व्यावसायिक जगत का केन्द्र-बिन्दु बन गया है। सभी व्यावसायिक क्रियाएँ उपभोक्ता के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। उपभोक्ता अवधारणा को अधिकाधिक मान्यता दिये जाने के कारण आर्थिक अवधारणा में परिवर्तन आ रहे हैं। फलस्वरूप विपणन का महत्त्व भी दिनोदिन बढ़ता जा रहा है।

पीटर एफ ड्रुकर (Peter F. Drucker) के अनुसार, “एक व्यावसायिक उपक्रम के दो आधारभूत कार्य हैं-प्रथम, विपणन (Marketing) एवं द्वितीय, नवाचार (Innovation)।” विपणन के महत्त्व का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है :

निर्माता के लिये विपणन का महत्त्व

(Importance of Marketing for Manufacturer)

(1) उत्पादन सम्बन्धी निर्णयों में सहायक (Helpful in Production decision)-
वर्तमान समय में व्यवसाय की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उपभोक्ताओं की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाये। अतः वस्तुओं की मात्रा, कीमत निर्धारण की व्यवस्था, विज्ञापन के साधन आदि के सम्बन्ध में सही निर्णय लेने के लिये विपणन बहुत उपयोगी होता है।

(2) आय वृद्धि में सहायक (Helpful in Increasing Income)—प्रत्येक फर्म (कंपनी या व्यवसाय) का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। विपणन एक ओर तो विभिन्न विपणन लागतों में कमी करके वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों में कमी करता है और दूसरी ओर विपणन के आधुनिक तरीकों जैसे-विज्ञापन, विक्रय सम्बद्धन आदि के द्वारा वस्तुओं व सेवाओं की माँग में वृद्धि करता है परिणामतः वस्तुओं की लागतों में कमी और माँग में वृद्धि होने के कारण कुल बिक्री में वृद्धि होती है जिससे फर्म (कंपनी या व्यवसाय) के लाभों में वृद्धि होती है।

(3) सूचनाओं के आदान-प्रदान में सहायक (Helpful in exchanging information)—विपणन की सहायता से व्यवसाय और समाज के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है। विपणन की सहायता से समय-समय पर समाज में होने वाले परिवर्तनों, जैसे—आवश्यकताओं व रुचियों में परिवर्तन, फैशन में परिवर्तन आदि के सम्बन्ध में उच्च प्रबन्ध को जानकारी रहती है। आज की बढ़ती हुई पारस्परिक प्रतिस्पर्धा में इन सूचनाओं का और भी अधिक महत्व बढ़ गया है।

(4) वितरण में सहायक (Helpful in distribution)—विपणन का अध्ययन एक निर्माता को यह बताता है कि उसको वस्तु कम-से-कम लागत पर अधिक-से-अधिक सुविधाजनक केन्द्रों पर उपभोक्ता को किस प्रकार प्रदान करनी चाहिए। आज इस प्रतियोगी युग में वही निर्माता सफल हो सकता है जिसकी विपणन लागत न्यूनतम होती है।

समाज के लिये विपणन का महत्त्व

(Importance of Marketing to Society)

(1) रोजगार के अवसरों में वृद्धि—विपणन ने रोजगार के अवसरों की वृद्धि में पर्याप्त सहयोग दिया है। वास्तव में, उत्पादन की तुलना में विपणन में रोजगार अवसरों में थोड़ी ही अवधि में चार गुनी वृद्धि हुई है।

(2) रहन-सहन का स्तर

नोट - प्रिय पाठकों , यह एक sample मात्र है यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नहीं हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको RAS मुख्य परीक्षा के कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है/ RAS मुख्य परीक्षा के कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , धन्यवाद/

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्टूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्टूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये

राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें /

अध्याय - 5

अत्यावश्यक सेवाओं का प्रबंधन - शिक्षा प्रबंधन, हेल्थकेयर तथा वेलनेस प्रबंधन, पर्यटन तथा आतिथ्य प्रबंधन

शिक्षा प्रबंधन-

शिक्षा प्रबंधन मनुष्य द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया किसी न किसी प्रक्रिया द्वारा सम्पन्न होती है। इसी प्रकार शिक्षा की अवधारणा में दो प्रकार के परिवर्तन हुये हैं। (1) शिक्षा, मानव विकास की सशक्त प्रक्रिया के साथ-साथ राष्ट्र विकास एवं जनशक्ति नियोजन का आधार बन गई है। (2) यह एक मानवीय व्यवसाय के रूप में विकसित हो रही है। यह व्यवसाय, अन्य व्यवसायों से भिन्न है। इसमें शिक्षक, शिक्षा के द्वारा मानव विकास के लिये किये गये श्रम का मूल्य लेता है। यह व्यवसाय एक मिशन (सेवा कार्य) के रूप में है जिसका सम्पूर्ण लाभ समाज तथा राष्ट्र को मिलता है। अन्य व्यवसायों में लाभ व्यक्ति या संस्था को मिलता है और कर्मचारियों को केवल सेवा मूल्य प्राप्त होता है। शिक्षण-व्यवसाय (Teaching Profession) में प्रबंधन का विशेष महत्व है। शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा को हम इस प्रकार समझ सकते हैं-

1. शिक्षण एक व्यवसाय है-हेनी (Heney) के शब्दों में- 'व्यवसाय वस्तुओं तथा सेवाओं के उस नियमित रूप व्य-विव्य, हस्तान्तरण अथवा विनिमय को कहते हैं जो लाभ कमाने के लिये किया जाता है। इस परिभाषा के अनुसार शिक्षा एक व्यवसाय है इसमें शिक्षक अपने ज्ञान तथा कौशल की सेवाएं, मान के बदले, छात्रों को देता है। छात्र, शिक्षण द्वारा प्रदान किये गये ज्ञान तथा कौशल उपयोग करके अपनी क्षमताओं का विकास करते हैं। व्यवसाय में क्रय-विक्रय, विनिमय, सेवाओं का लेन-देन, लाभ, प्रयोजन तथा प्रतिफल की अनिश्चितता, जोखिम एवं विनिमय में निरन्तरता के लक्षण पाये जाते हैं। उद्योग तथा

व्यवसाय में लाभ उत्पादक को मिलता है। शिक्षा में उक्त सभी लक्षण पाये जाते हैं किन्तु इसमें जोखिम कम है। इसका लाभ व्यक्ति तथा समाज को मिलता है।

2. शिक्षा एक प्रबंधन (Management) है- शिक्षा, यद्यपि जीवन-पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया की सफलता उत्तम प्रबंधन पर निर्भर करती है। यदि प्रबंधन निरंकुश है तो शिक्षा की प्रक्रिया में अवरोध आएगा। यदि वह अमान्यतावादी है तो एक व्यक्ति या संस्था का वर्चस्व रहेगा। यदि मुक्त है तो अराजकता की संभावना बढ़ेगी। इसलिये शिक्षा-उद्योग अर्थात् शिक्षा संस्थाओं की सफलता उसके प्रबंधन पर निर्भर करती है। ओलीवर शैल्डेन के शब्दों में- 'प्रबंधन, उद्योग (विद्यालय तथा शिक्षा) की वह जीवनदायिनी शक्ति है जो संगठन को शक्ति देता है, संचालित करता है एवं नियंत्रित करता है।' इसी प्रकार थियोहेमेन ने लिखा है- 'प्रबंधन एक विज्ञान के रूप में, प्रबंधन एक उच्च स्तरीय प्रबंधन समूह के रूप में तथा प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में व्यक्त किया जाता है।' दूसरे शब्दों में प्रबंधन एक कार्यकारी समूह है, यह समूह कार्य का संचालन, निर्देशन, नियन्त्रण एवं समन्वय करता है। इसलिये वह (प्रबन्धक) प्रशासक कहलाता है। प्रबन्धक या प्रशासक छः तत्वों (1) मानव (2) मशीन (3) माल (4) मुद्रा बाजार (5) प्रबंधन (6) तथा संगठन का समन्वय करता है। पीटर डंकर के अनुसार- 'प्रबन्धक, प्रत्येक व्यवसाय का गत्यात्मक तथा जीवनदायी अवयव है। इसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के सामान, केवल सामान मात्र ही रह जाते हैं, कभी उत्पादन नहीं बन पाते हैं।

विद्यालयी प्रबंधन में मानव (शिक्षक, छात्र), मशीन (विद्यालयी उपकरण) माल (शैक्षिक प्रक्रिया) तथा निष्पत्ति, मुद्रा बाजार (शुल्क, अर्थ व्यवस्था तथा मानव शक्ति नियोजन), प्रबंधन (समन्वय) तथा संगठन (प्रबन्धक, प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक, सामान) आदि निहित हैं। इन सबको गतिशील बनाये रखने में प्रबन्धक की भूमिका महत्वपूर्ण है।

शैक्षिक प्रबंधन एक विशेष क्रिया है। मानव समूह तथा संस्थाओं के संचालन के लिये अर्थात् विद्यालय के कर्मियों तथा विद्यालयी संस्था के संचालन के लिये शैक्षिक प्रबंधन का whatsapp- <https://wa.link/g840vp> 86website-<https://bit.ly/ras-mains-notes>

होना अत्यन्त आवश्यक है। उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र में व्यवस्था की यह प्रक्रिया प्रबंधन कहलाती है तो शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रक्रिया प्रशासन कहलाती है। प्रशासन की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने मद के अनुसार भूमिका का निर्वाह करता है। इसलिये प्रबंधन तथा प्रशासन को समानार्थी कहा जाता है। प्रचलित अवस्था में 'प्रबन्ध' शब्द उद्योग तथा व्यवसाय के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है।

शिक्षा-प्रबंधन की परिभाषा

शिक्षा-प्रबंधन की प्रमुख परिभाषा इस प्रकार हैं-

किम्बाल एवं किम्बाल-प्रबंधन उस कला को कहते हैं जिसके द्वारा किसी उद्योग में मनुष्यों और माल को नियन्त्रित करने के लिये लागू आर्थिक सिद्धान्त को प्रयोग में लाया जाता है।

कुन्टज-औपचारिक समूहों में संगठित लोगों से काम कराने की कला का नाम ही प्रबंधन है।

स्टेन्लेवेन्स-प्रबंधन सामान्य रूप से निर्णय लेने एवं मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की विधि है जिससे पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।

पीटरसन तथा प्लोमैन-प्रबंधन से आशय उस तकनीक से है जिसके द्वारा एक विशेष मानवीय समूह के उद्देश्यों का निर्धारण, स्पष्टीकरण तथा क्रियान्वयन किया जाता है। प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप व्यक्तियों से वास्तव में क्या काम लेना चाहते हैं? और फिर यह देखना कि वे उसको सबसे मितव्ययी तथा उत्तम ढंग से पूरा करते हैं।

शिक्षा प्रबंधन की सामान्य विशेषताएँ

1970 से शिक्षा प्रबंधन तथा प्रशासन के क्षेत्र में नये युग का सूत्रपात हुआ। यह सूत्रपात इस प्रकार है-

1. शिक्षा प्रबंधन के सिद्धान्त तथा व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है।
2. सैद्धान्तिक स्तर नवीन शब्दावली का निर्माण हो रहा है।

3. शैक्षिक प्रशासन के लिए शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक संगठन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
4. शैक्षिक प्रबंधन ज्ञान की नवीन शाखा के रूप में विकसित हो रहा है।
5. वाणिज्य तथा उद्योग के क्षेत्र में जिसे प्रबंधन कहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उसे प्रशासन कहते हैं।

इस दृष्टि से थिया हेमेन ने प्रबंधन की अवधारणा इस परिभाषा से स्पष्ट की है- 'प्रबंधन के तीन अर्थ हैं: प्रबंधन उच्चस्तरीय प्रबन्धकों का एक समूह है, प्रबंधन एक विज्ञान है, प्रबंधन एक सामाजिक क्रिया है, शिक्षा प्रबंधन की सामान्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं।

1. **प्रबंधन उत्पादन का एक आर्थिक संसाधन है-**आर्थिक क्रियाओं में भूमि, श्रम, पूँजी, साहस तथा विनिमय प्रमुख घटक हैं। ये सभी घटक स्वतन्त्र होते हुए भी प्रबंधन के अधीन हैं। प्रबंधन के सामानों के अभाव में उत्पत्ति के सभी सामान अपूर्ण एवं निष्क्रिय हैं।
2. **प्रबंधन एक अधिकार व्यवस्था है-**किसी भी क्षेत्र में प्रबंधन, अधिकार के रूप में प्रयुक्त होता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रबन्धक तथा प्रबंधित, दो वर्ग होते हैं। प्रबंधक वर्ग के अधिकार अधिक होते हैं और वे अपने अधीनस्थों से कार्य लेते हैं। प्रबन्धक भी उच्च, माध्यम एवं पर्यवेक्षीय स्तर के होते हैं। सभी के अपने पदों के अनुरूप अधिकार होते हैं तथा भूमिकाएँ होती हैं ये अपने अधीनस्थों का मार्ग दर्शन करते हैं। नियंत्रण, समन्वय तथा नेतृत्व करते हैं।
3. **प्रबंधन एक लोक समूह है-**प्रबंधन की अवधारणाओं में यह है कि यह एक लोक समूह है। विद्यालय में प्रबन्धक, प्रधानाचार्य, अध्यापक, छात्र, अन्य कर्मचारी होते हैं। ये सभी अपने-अपने क्षेत्रों में प्रबंधन करते हैं। आधुनिक प्रबंधन शास्त्र में तीन व्यवस्थाएँ पाई जाती हैं। (1) पैंत्रिक अथवा पारिवारिक (2) राजनीतिक (3) पेशेवर। पैंत्रिक प्रबंधन वंशानुक््रम तथा परिवार की परम्पराओं के अनुसार चलता है। औद्योगिक घरानों में इसी प्रकार का प्रबंधन पाया जाता है। राजनीतिक प्रबंधन, सरकारी उपक्रमों (Government undertakings) में पाया जाता है। इनमें

सनासढ़ ढल अपने हितेषियों की नियुक्तिया करते हैं। पेशेवर प्रबंधन में, प्रबंधन का प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति संस्थाओं का प्रबंधन करते हैं

शैक्षिक प्रबंधन एक समन्वयकारी संसाधन है- शैक्षिक प्रबंधन, शिक्षा के विभिन्न सामानों में समन्वय

नोट - प्रिय पाठकों , यह एक sample मात्र है यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नहीं हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको RAS मुख्य परीक्षा के कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है। RAS मुख्य परीक्षा के कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , धन्यवाद/

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्टूबरकी दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्टूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये

राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

whatsapp- <https://wa.link/g840vp> 89website-<https://bit.ly/ras-mains-notes>

Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो देखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें !



लेखांकन

अध्याय - 1

लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली का सामान्य ज्ञान, वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें, उत्तरदायित्व और सामाजिक लेखांकन

लेखांकन क्या है

लेखांकन दो शब्दों से मिलकर बना है- 'लेख' और 'अंकन'। जहां लेख का अर्थ "लिखने" से है और अंकन का अर्थ "अंक" से लगाया जाता है। इस प्रकार से व्यवसाय में जितने भी लेन-देन होते हैं उनको एक बही(Book) के रूप में लिखना ही "लेखांकन" (Accounting) कहलाता है। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। लेखांकन को लेखाकर्म के नाम से भी जाना जाता है।

लेखांकन की अवधारणा

लेखांकन वह शास्त्र है जिसका संबंध मुख्य रूप से वित्तीय स्वभाव वाले लेन-देनों तथा घटनाओं के अभिलेखन, वर्गीकरण व विश्लेषण करने से है। व्यवसाय हो या फिर कोई कार्य जहां भी मुद्रा से संबंधित लेन-देन किए जाते हैं तो वहां लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। बिना एकाउंटिंग के व्यवसाय का कार्य अधूरा माना जाता है। आज लेखांकन का प्रयोग सभी प्रकार के व्यवसाय में किया जा रहा है- जैसे व्यापारिक संस्थाएं, गैर-व्यापारिक संस्थाएं, कंपनी तथा साझेदारी व्यापार आदि।

लेखांकन के प्रारंभिक क्रियाओं में शामिल होने वाले चरण

लेखांकन के प्रारंभिक क्रियाओं में निम्नलिखित चरणों को शामिल किया गया है-

1. अभिलेखन (Recording) : व्यवसाय में जो भी लेन-देन होते हैं उनको पहली बार जिस बही में लिखा जाता है उसे 'अभिलेखन' कहते हैं। यह लिखने की क्रिया ही शेजनामचा है जिसे अंग्रेजी में Journal कहा जाता है।

2. वर्गीकरण (Classification) : रोजनामचा में लिखे सभी लेनदेन को अलग-अलग भागों में विभाजित करके लिखना है 'वर्गीकरण' कहलाता है, क्योंकि व्यवसाय में एक ही तरह के लेन-देन नहीं होते हैं। जैसे - नगद, उधार, नगद वापसी, उधार वापसी, माल का क्रय, विक्रय, विक्रय वापसी आदि।
3. संक्षेपण (Summarising): वर्गीकृत लेनदेन को एक ही स्थान पर लिखा जाना है 'संक्षेपण' है इसे तलपट (Trail Balance) के नाम से भी जाना जाता है। जो कि जांच करने का कार्य करता है।

लेखांकन की विशेषताएं ---

1. लेखांकन की विशेषताएं व्यावसायिक लेन-देन की पहचान करना और इसे नियमित तथा सुव्यवस्थित ढंग से लेखा पुस्तकों में लिखना है।
2. लेखा बहियों में केवल उन्हीं लेन-देन का लेखा किया जाता है जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है।
3. ऐसी घटनाओं तथा लेनदेन जिन्हें मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो, लेखा नहीं किया जाता है।
लेखांकन की विशेषताएं वित्तीय व्यवहारों एवं घटनाओं को इस प्रकार से प्रस्तुत करना है जिससे कि लेन-देन का विश्लेषण तथा व्याख्या आसानी से हो सके
4. लेखांकन व्यावसायिक लेन-देन की एक कला है।
5. लेखांकन के अंतर्गत लेन-देन का संक्षेपण किया जाता है। लेखांकन की विशेषताएं सभी पक्षकारों को उनके द्वारा वांछित सूचनाएं प्रदान करता है।

लेखांकन के उद्देश्य :

लेखांकन के उद्देश्य प्रत्येक व्यवसाय के लिए आवश्यक हैं। लेखांकन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। जो कि नीचे इस प्रकार से दिए गए हैं -

1. नियमित एवं सुव्यवस्थित लेखा - लेखांकन का प्रथम उद्देश्य सभी लेन-देन का नियमित एवं सुव्यवस्थित ढंग से लेखा करने से है। सुव्यवस्थित ढंग से लेखा करने से भूल की संभावना नहीं रहती है और परिणाम सही प्राप्त होता है।

2. शुद्ध लाभ -हानि का निर्धारण - यह लेखांकन का दूसरा उद्देश्य है। एक निश्चित अवधि का लाभ -हानि ज्ञात करना। लाभ- हानि को ज्ञात करने के लिए किस संस्था द्वारा व्यापार खाता(Trading Account), लाभ -हानिखाता (Profit & Loss Account) तथा आर्थिक चिट्ठा (Balance Sheet) बनाया जाता है।
3. कानूनी आवश्यकता - कानूनी आवश्यकता को पूरा करना एक लेखांकन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है । लेखांकन प्रत्यक्ष(Direct) और अप्रत्यक्ष(Indirect) करों के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे अच्छा आधार प्रस्तुत करता है।
4. पक्षकारों को सूचना - व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षों को सूचना उपलब्ध कराना लेखांकन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। व्यवसाय में कई पक्षों के हित होते हैं जैसे - स्वामी(Proprietor) , लेनदार (Creditor), विनियोजक(Investor) आदि।
5. वित्तीय स्थिति - लेखांकन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य संस्था की वित्तीय स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक आर्थिक चिट्ठा (Balance Sheet) बनाया जाता है । जिसमें दाएं ओर संपत्तियों(Assets) तथा बाएं ओर पूंजीवाद व दायित्व(Capital And Liabilities) को प्रदर्शित किया जाता है।

पुस्तपालन ---

पुस्तपालन को समझने से पहले आपको अंग्रेजी Word Book-Keeping को समझना होगा। Book-Keeping दो शब्दों से मिलकर बना है- a. Book तथा Keeping । Book शब्द का अर्थ 'पुस्तक' से होता है जबकि Keeping शब्द का अर्थ 'रखना' होता है अर्थात् पुस्तक को रखना ही पुस्तपालन (Book-Keeping) कहलाता है।

पुस्तपालन के जनक लुकास पेसिओली हैं । लेखांकन और दोहरा लेखा प्रणाली में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है ।

इस प्रकार से, पुस्तपालन या बुक कीपिंग वह कला व विज्ञान होता है जिसके अनुसार समस्त व्यवसायिक वित्तीय लेन-देनों का लेखा नियमानुसार स्पष्ट तथा प्रतिदिन उचित

पुस्तकों में लिखने से होता है। इस पुस्तक को बही खाते के नाम से भी जाना जाता है। आज अधिकांश संस्थाएं व्यवसायिक सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम (Software Packages Programs) का प्रयोग करते हैं। जिसमें कंप्यूटर द्वारा पुस्तके रखने में सहायता मिलती है। इस प्रकार से,

- बहीखाता लेखांकन का अंग है।
- वित्तीय लेनदेन एवं घटनाओं की पहचान करता है।
- वित्तीय लेनदेन एवं घटनाओं को मुद्रा के रूप में मापना इसका अहम कार्य है।
- वित्तीय लेनदेन को Journal या सहायक पुस्तकों में लिखना।
- सभी लेनदेन को वर्गीकृत करना अर्थात् खाता बही (Ledger) तैयार करना ।

पुस्तपालन (बुक कीपिंग) की विशेषताएं

उपरोक्त परिभाषा के आधार पर पुस्तपालन तथा खाताबही की विशेषताएं निम्नलिखित हैं जो कि नीचे इस प्रकार से दिए गए हैं

- माँद्रिक रूप में लेखा
- व्यापारिक सौदों का लेखा
- सभी व्यापारियों द्वारा प्रयोग
- नियमानुसार लेखा
- पुस्तपालन कला और विज्ञान

1. माँद्रिक रूप में लेखा - पुस्तपालन की यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें सिर्फ वित्तीय लेन- देनों का लेखा किया जाता है अर्थात् इसमें वैसे लेनदेन शामिल होते हैं जिनको मुद्रा के रूप में मापा जा सके । इनमें वैसे लेन देन को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाता है। जिनको मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सके।

2. व्यापारिक सौदों का लेखा- पुस्तपालन के अंतर्गत सभी प्रकार के व्यापारिक लेन- देन का लेखा किया जाता है, चाहे वह क्रय, विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, लाभ-हानि तथा आय-व्यय से संबंधित हो।

3. सभी व्यापारियों द्वारा प्रयोग- पुस्तपालन (Book-Keeping) का प्रयोग सभी प्रकार के व्यापारियों द्वारा किया जाता है। इसके प्रयोग से वह अपने व्यापार में हुए वित्तीय लेन-देनों का हिसाब -किताब रखते हैं।

4. नियमानुसार लेखा - पुस्तपालन में, व्यासाय में जितने भी लेन-देन (Transactions) होते हैं। उन सभी का लेखा नियम के अनुसार वह नियमित रूप से होता है। जिससे आगे की क्रिया करने में आसानी होती है।

5. पुस्तपालन कला और विज्ञान - पुस्तपालन (Book-Keeping) की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह कला और विज्ञान दोनों होता है। यह विज्ञान तथा कला के सिद्धांतों पर खरा उतरता है। इसमें व्यापारिक लेन-देनों का लेखा करते समय क्रमबद्ध निश्चित नियमों का पालन किया जाता है।

पुस्तपालन (बुक कीपिंग) के उद्देश्य

बुक कीपिंग के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। जो कि नीचे इस प्रकार से दिए गए हैं-

1. व्यवसायिक सौदों का लेखा रखना
2. आर्थिक स्थिति जानने हेतु
3. माल संबंधित जानकारी
4. करों का सही अनुमान लगाना
5. नीति निर्धारण
6. गलतियों का पता लगाना

1. व्यवसायिक सौदों का लेखा रखना - पुस्तपालन का यह सबसे बड़ा उद्देश्य है कि यह व्यवसायिक लेन-देनों का लेखा रखता है। व्यवसाय का यह आधार है। बिना पुस्तपालन के कोई भी व्यापारी को यह पता नहीं चल पाएगा कि उसने कितने सौदें किए हैं।

2. आर्थिक स्थिति जानने हेतु - एक व्यवसायी को समय-समय पर यह ज्ञात करना होता है कि उसके व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है। व्यवसाय में कितना पैसा बचा है और कितने के लाभ हुए हैं आदि। यह तभी संभव है जब व्यापारी द्वारा पुस्तपालन का इस्तेमाल किया जा रहा हो और उसमें सही - सही प्रवृष्टियाँ समय-समय पर की गई हो।

3. माल संबंधित जानकारी - पुस्तपालन के द्वारा एक व्यापार में कितने वस्तुओं का क्रय- विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी आदि हुए हैं। उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने में आसानी होती है। यह पुस्तपालन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है।

4. करों का सही अनुमान लगाना - कर (Tax) का सही भविष्यवाणी करना भी पुस्तपालन का उद्देश्य होता है। प्रत्येक देश की सरकार व्यापारियों से कर वसूली करते हैं। यदि व्यवसायी द्वारा पुस्तपालन में किए गए लेखों सही ढंग से रखता है तो उचित राशि का भुगतान इस मद में किया जा सकता है। अन्यथा गड़बड़ी की दशा में सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

5. नीति निर्धारण - पुस्तपालन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नीति निर्धारण करना होता है। यह नीति उसे भविष्य में लाभ देगी कि नहीं। इसकी जानकारी पुस्तपालन से ही हो पाता है। पुस्तपालन की सहायता से ही पिछले कुछ वर्षों का रिकार्ड देखा जाता है और उसके अनुसार आगे की कार्यवाही की जाती है।

6. गलतियों का पता लगाना - एक व्यापार (Business) में गलती तो स्वयं मालिक से भी हो जाता है। पुस्तपालन गलतियों को पकड़ने में मदद करता है। यह पुस्तपालन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है।

पुस्तपालन और लेखाकर्म में अन्तर बहुत से लोग पुस्तपालन और लेखाकर्म उनको एक ही शब्द मानते हैं। जबकि सच यह है कि इन दोनों में विशेष अंतर होता है। पुस्तपालन और लेखांकन में निम्नलिखित अंतर हैं। जो कि नीचे इस प्रकार से दिए गए हैं-

1. अंतर का आधार - परिभाषा - पुस्तपालन व्यापारिक लेन-देन का मौद्रिक रूप में लिखने तथा खाता बही में वर्गीकृत करने की कला है जबकि लेखांकन से आशय व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप में इकट्ठा करना, सारांश बनाना, विश्लेषण करना तथा जानकारी देने से है।

2. चरण - पुस्तपालन प्रारंभिक चरण होता है जबकि लेखांकन दूसरा चरण होता है

3. आधार- पुस्तपालन लेखांकन का आधार होता है जबकि लेखांकन अंकेक्षण का आधार होता है।

4. समाप्त - जहां पुस्तपालन समाप्त होता है वहां लेखांकन (लेखाकर्म) प्रारंभ होता है और जहां लेखांकन समाप्त होता है वहां अंकेक्षण प्रारंभ होता है।

5. क्षेत्र - पुस्तपालन का क्षेत्र सीमित होता है इसके अंतर्गत जर्नल (रोजनामचा) सहायक पुस्तकें तथा खाता बही शामिल होता है जबकि लेखांकन का क्षेत्र व्यापक होता है इसके अंतर्गत तलपट (Trial balance), अशुद्धियों का सुधार, समायोजन, वित्तीय विवरण, विश्लेषण व व्याख्या शामिल होता है।

6. योग्यता - यह कार्य छोटे व्यापारी कर्मचारी तथा मशीन द्वारा किया जाता है इस कार्य को करने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है जबकि लेखांकन में योग्यता होती है।

Accounting के मुख्य पांच प्रकार नीचे दिए गए हैं -

1. Financial Accounting (वित्तीय लेखांकन) -

Financial Accounting में वे सारे चीज़ें आती हैं जो एक business को financial information देते हैं यानी इसमें वे सारे transaction आते हैं जो हम Accounts के Rules and Regulations के according उसे record करते हैं। Financial Accounting का main purpose यह होता है कि सारे transactions को एक systematic manner में record

करना, Profit and Loss Account को prepare करके एक particular period का Profit या Loss का पता लगाना, साथ ही Balance Sheet बनाकर business की Financial Position का पता लगाना होता है। इस तरह Financial Accounting Management और interested parties को information provide करती है। इस तरह इसमें Journal, Ledger, Trial Balance, Trading and Profit & Loss Account और Balance Sheet बनाये जाते हैं।

2. Cost Accounting (लागत लेखांकन) -

Cost Accounting उन्हीं firm में की जाती है जो कुछ manufacture करते हैं या कोई production करते हैं। Cost Accounting से हमें यह पता चलता है कि कितने material लग रहे हैं? Labor की Cost क्या आ रही है? इसके अलावा क्या-क्या Expenses हो रहे हैं? इन सारी चीजों का पता चलता है। Cost Accounting के basis पर unnecessary cost को रोका जा सकता है और उसपर Controlling की जा सकती है। Cost Accounting का main purpose किसी product की Total Cost और उसकी Per Unit Cost का पता लगाना होता है। इस तरह Cost Accounting business के operations और उसको Control करने में Management की help करती है।

3. Management Accounting (प्रबन्धकीय लेखांकन) -

Management Accounting में Financial Accounting और Cost Accounting से जो information मिलती है या जो output मिलते हैं उनको manage किया जाता है। इनकी report prepare की जाती है और management की planning, controlling और उसके operations को handle किया जाता है जिससे important decisions लेने और उसके objectives को पूरा करने में help मिलती है। इसमें management accountant अलग-अलग techniques और concepts को उसे करके accounting data को और useful बनाते हैं। इसमें planning, ratio analysis, budgetary control और cash flow statement आते हैं।

4. Tax Accounting (कर लेखांकन) -

Tax Accounting वह accounting है जो Tax की calculation के लिए की जाती है यानी Income Tax और GST की calculation और computation की जाती है।

5. Social Accounting (सामाजिक लेखांकन) -

Business के लिए जो facilities हमें मिल रही हैं जिनसे हमारा business चल रहा है वह हमें society provide करती है। इसमें यह identify करना कि society की need क्या है।

नोट - प्रिय पाठकों , यह एक sample मात्र है यह अध्याय अभी यहीं समाप्त नहीं हुआ है, इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको RAS मुख्य परीक्षा के कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यह तो एक sample मात्र ही है/ RAS मुख्य परीक्षा के कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , धन्यवाद/

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

हमारे नोट्स के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट (Result)-

RAS Pre. परीक्षा 2021 में हमारे नोट्स में से 73/74 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 79 प्रश्न आये

पटवारी परीक्षा 2021 में 23 अक्टूबरकी दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 103 प्रश्न आये

whatsapp- <https://wa.link/g840vp> 99website-<https://bit.ly/ras-mains-notes>

पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 96 प्रश्न आये
पटवारी परीक्षा 2021 में 24 अक्टूबर की दूसरी शिफ्ट में हमारे नोट्स में से 91 प्रश्न आये
राजस्थान SI 2021 की परीक्षा कि परीक्षा में भी कई प्रश्न आये हैं -

**Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (InfusionNotes) पर इसकी वीडियो
देखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें /**



INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

AVAILABLE ON/  



01414045784



contact@infusionnotes.com



<http://www.infusionnotes.com/>